मध्यप्रदेश शासन
पर्यटन विभाग द्वारा संचालित

THE REAL INDIA HOMESTAY
MADHYA PRADESH

मार्गदर्शिका

होमस्टे योजना | बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना | फार्मस्टे योजना | ग्राम स्टे योजना

मध्य प्रदेश पर्यटन
वसुधैव कुटुम्बकम

MADHYA PRADESH
The heart of Incredible India

मध्यप्रदेश शासन
पर्यटन विभाग द्वारा संचालित

THE REAL INDIA HOMESTAY
MADHYA PRADESH

होमस्टे योजना | बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना | फार्मस्टे योजना | ग्रामस्टे योजना

मध्य प्रदेश पर्यटन

वसुधैव कुटुम्बकम

The heart of Incredible India

THE REAL INDIA HOMESTAY
MADHYA PRADESH

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	होम स्टे नीति	1-18
2.	सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न	19-21
3.	बेड एण्ड ब्रेकफास्ट नीति	22-42
4.	सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न	43-46
5.	फार्म स्टे नीति	47-66
6.	सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न	67-69
7.	ग्राम स्टे नीति	70-88
8.	सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न	89-91
9.	होम स्टे, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे एवं ग्राम स्टे नीतियों का तुल्नात्मक विवरण	92

उषा ठाकुर, मंत्री
पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म विभाग
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय : मंत्रालय कक्ष क – 318,
एन. एक्स –3, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल
दूरभाष : 0755.2708769

शुभकामना संदेश

मध्यप्रदेश में स्थानीय एवं विदेशी पर्यटकों को प्रदेश में नया पर्यटक अनुभव प्रदान करने हेतु अभिनव प्रयास किया जाता रहा है। वर्तमान में पर्यटकों के बदलते रूझान को देखते हुए अनुभव आधारित पर्यटन में बेहतर सेवाओं हेतु होम स्टे संबंधी नवीन नीतियों को लागू किया गया है।

होम स्टे संबंधी नवीन नीतियों से देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति, खान-पान, वेश-भूषा, संगीत एवं आतिथ्य का अनुभव प्राप्त हो सकेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार के अवसर सृजित करेगा, इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने में मददगार होगीं। उक्त नीतियों में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु समय-समय पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

आशा करती हूँ कि नवीन नीतियों का लाभ लेकर निजी क्षेत्र के हितधारक प्रदेश में अनुभव आधारित पर्यटन को नवीन ऊचाईयों पर ले जाने का प्रयास करेगें।

(उषा ठाकुर)

The heart of
Incredible !ndia

शिव शेखर शुक्ला, आई.ए.एस.
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड

कार्यालय का पता : 6वां तल, लिली ट्रेड विंग,
जहांगीराबाद, भोपाल 462 008
दूरभाष : 0755–2573320
ई–मेल : mdmptb@mp.gov.in

संदेश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा देश और विदेशों के पर्यटकों तथा यात्रियों को ठहरने के लिये स्वच्छ एवं किफायती स्थान उपलब्ध कराने तथा पर्यटकों को भारतीय परिवारों के साथ रूकने से उन्हें भारतीय संस्कृति, परम्पराओं एवं भारतीय भोजन के अवसरों से रूबरू कराने के लिये प्रदेश में होम स्टे की नवीन योजनाओं को लागू किया है। प्रदेश में मध्यप्रदेश होमस्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010, संशोधित 2018 में लागू किया गया था, इस योजना में सम्पत्तिधारकों एवं पर्यटकों की बढ़ती रूचि को देखते हुये तीन नवीन योजनाओं "मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019", "मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019", "मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019" को लागू किया गया है।

इन योजनाओं में सम्पत्ति के मालिक अपने आवास का कुछ हिस्सा पर्यटकों को रहने के लिये उपलब्ध करा सकेंगे तथा उन्हें भोजन सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसा करने से आवासीय सम्पत्ति का उपयोग वाणिज्यिक नहीं माना जायेगा, फलस्वरूप जल कर, सम्पत्ति कर आदि सामान्य आवासीय इकाई के समान देय होंगे। पर्यटकों को भोजन देने के लिये कोई अतिरिक्त फूड अथवा रेस्टॉरेंट लायसेंस लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सम्पत्तिधारक को समय-समय पर प्रोत्साहन देने का प्रावधान योजनाओं में किया गया है।

इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों के विवरण सहित यह पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि यह पुस्तिका पर्यटकों एवं अन्य निवेशकों के लिये उपयोगी होगी।

प्रबंध संचालक
म.प्र.टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

आभार

मध्य प्रदेश में वैकल्पिक आवासीय सुविधा बढ़ाने हेतु म.प्र. होमस्टे (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 में संशोधन कर 2018 में लागू करने का निर्णय किया गया। उक्त नीति में मध्य प्रदेश की स्थिति व आवश्यकता के अनुरूप हितधारकों की मांग अनुसार बदलाव किये गये हैं। प्रदेश में संचालित म.प्र होमस्टे (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) के साथ ही ०३ नवीन योजनाएं यथा बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2019, फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2019, ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2019 को भी शामिल किया गया है। यह नवीन योजनाएं पर्यटकों को सांस्कृतिक अनुभव आधारित पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों को आय का साधन भी प्रदान करती है।

नीति के निर्धारण एवं नवीन संशोधन हेतु श्री हरिरंजन राव तत्कालिन प्रबंध संचालक का मार्गदर्शन एवं संचालक (निवेश संवर्धन) श्री ए. के. राजोरिया, संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन) श्री सुरेश झारिया व श्रीमती गायत्री गोंधलेकर, मैनेजर एवं टीम का योगदान महत्वपूर्ण है।

इसके पश्चात् क्रियान्वयन का दायित्व कौशल संवर्धन टीम को दिया गया। पूर्व प्रबंध संचालक श्री फैज़ अहमद किदवई ने म.प्र. होमस्टे नीति अंतर्गत पंजीकृत होमस्टे को एक नाम दिया “द रियल इण्डिया होमस्टे मध्य प्रदेश” जिससे मध्य प्रदेश के पंजीकृत होमस्टे को एक ब्रान्ड नेम के साथ जाना जा सके।

वर्तमान में प्रबंध संचालक, श्री शिवशेखर शुक्ला, अपर प्रबंध संचालक, सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में कौशल संवर्धन टीम के द्वारा यह इस कार्य को संपादित किया जा रहा है। नीति का क्रियान्यवन में श्री प्रशांत छिरोल्या, सलाहकार (कौशल), सुश्री किरण यादव, परियोजना सहायक एवं श्री चन्द्रदीप मण्डलोई, परियोजना सहायक द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा वर्तमान समय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित कर पंजीयन करने, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजीकृत हितधारकों व देश-विदेश के विचारकों के सुझाव आमंत्रित है एवं पर्यटन बोर्ड आवश्यक व्यवहारिक परिवर्तन करने के लिये प्रतिबद्ध है।

आपका सहयोग एवं सुझाव सदैव आमंत्रित है।

आपका

(डॉ. मनोज कुमार सिंह)
संचालक (कौशल संवर्धन)

WHY OPEN UP YOUR HOME ?

MAKE MONEY

MAKE FRIENDS

MAKE MEMORIES

ECONOMIC IMPACT

SOCIAL IMPACT

ENVIRONMENTAL IMPACT

मध्य प्रदेश पर्यटन

होम स्टे

वसुधैव कुटुम्बकम

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) कहलायेगी ।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी संशोधन दिनांक से लागू होगी ।

1.4 इस योजना का उद्देश्य –

(अ) देशी–विदेशी अतिथियों को किफायती दरों पर आवास, भोजन सुविधा प्रदाय करना,

(ब) विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराना तथा

(स) निजी क्षेत्र को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है ।

1.5 यह योजना होटल, मोटल, गेस्ट हाउस पर लागू नहीं होगी ।

1.6 योजना के विस्तृत दिशा निर्देश, म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे ।

2. पंजीयन :–

2.1 सम्पत्तिधारक अपने आवास गृह (जिसे आगे इकाई कहा जायेगा) का स्वयं के उपयोग के अंश को छोड़कर शेष कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 01 तथा अधिकतम संख्या 06 (12 शैय्या) हो, को पर्यटक / अतिथियों को रहवास के लिये उपलब्ध करा सकेगा ।

2.2 होम स्टे श्रेणी एवं पंजीयन शुल्क –

1. सिल्वर – रूपये 1000 + (जीएसटी)
2. गोल्ड – रूपये 2000 + (जीएसटी)
3. डायमण्ड – रूपये 3000 + (जीएसटी)

सिल्वर, गोल्ड एवं डायमंड श्रेणी का निर्धारण परिशिष्ट 'एक' में दी गयी मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा ।

2.3 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा ।

2.4 पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रूपये 1000/– + जी.एस.टी. शुल्क एवं निर्धारित दस्तावेज, वैधता की अंतिम तिथि के 03 माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

2.5 जो सम्पत्तिधारक इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हो, उसे मध्यंप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को प्रारूप 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट / RTGS/NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये । आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी । आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी ।

2.6 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'इकाई' को निम्न शर्तो की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात –

(क) यह कि इकाई विशुद्धतः आवासीय इकाई हो तथा उसका स्वामी परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवासरत हो।

(ख) यह कि सम्पत्तिधारक उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को ही किराये पर दे सकेगा जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, (अधिकतम 12 शैय्या होगी)।

(ग) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, उर्जा, आपूर्ति, फर्नीचर, व अन्य सुविधाएं उपयुक्त स्तर की होगी। कमरें में हवा आने – जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।

(घ) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ–सफाई की अच्छी व्यवस्था हो अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो एवं

(ङ) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या 'मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड' द्वारा निर्धारित की जावें।

2.7 उप कंडिका (2.5) में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त गठित समिति को उसकी टिप्पणी तथा प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये प्रेषित करेगा ।

2.8 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा । आवेदक ऐसा करने में यदि असफल रहता है तो उसका आवेदन अमान्य किया जायेगा ।

2.9 समिति, ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगी । समिति अपनी अनुशंसाएँ देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगी।

2.10 समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये होगा, यदि उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये । इकाई के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा ।

2.11 'इकाई' के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति के 3 माह के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

2.12 प्रबंध संचालक इस योजना के अंतर्गत स्थापित इकाईयों की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में संधारित करायेंगे ।

3. उक्त योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन तथा निरीक्षण कर अनुशंसा प्रबंध संचालक को प्रस्तुत करने का कार्य निम्नानुसार समिति द्वारा किया जायेगा

1. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय में नियुक्त प्रभारी अधिकारी, होम स्टे ।
2. स्थानीय क्षेत्रीय प्रबंधक / प्रबंधक, म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'इकाई' निर्हर होगी

(क) यदि सम्पत्तिधारक किसी आपराधिक मामले में दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

(ख) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया हो गया हो, या

(ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका – के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो ।

5. सम्पतिधारक का दायित्व होगा कि वह

5.1 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी । ऐसी पंजी प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पॉच वर्ष तक सुरक्षित रखा जावेगा ।

5.2 इकाई में रूकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर भेजे ।

5.3 इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से करावें ।

5.4 भवन को अच्छी हालत में संधारित करें, भवन की साफ – सफाई अच्छी रखी जावे, सभी प्रकार की सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करे ।

5.5 'इकाई' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया मैन्यु दरों के साथ, चेक आउट का टाइम तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करे ।

5.6 खाद्य पदार्थ स्वच्छ एवं स्वास्थ्य कर ताजा तैयार कर उपलब्ध करावें ।

5.7 अतिथियों को रूकने तथा खान–पान की सुविधा उनकी दरों, इकाई के खुलने एवं बंद होने आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करावें ।

5.8 अतिथियों को खान–पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा कि वादा किया जाये उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5.9 बिन्दु 8 (1) के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए वर्दी निर्धारित करें । वर्दी में दिखाई देने वाले स्थान पर नाम पट्टिका लगानी होगी।

5.10 इकाई के विरूद्ध शिकायत करने के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई–मेल आई. डी. को काउंटर पर सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा ।

5.11 इकाई द्वारा कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिर्वतन हो तो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उस के अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजें ।

6. सम्पत्तिधारक

6.1 फ्रंट आफिस संधारित नहीं करेगा तथा सम्पूर्ण आवास सामान्य आवासीय भवन की तरह रखेगा ।

6.2 टूर ट्रेवल्स, साइट सीईंग, हेण्डीक्राफ्ट, यातायात या उसके समान किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियाँ न तो स्वयं संचालित करेगा और न ही इकाई परिसर से उसके संचालन की अनुमति देगा।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले के निवासियों की निजता अथवा अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो ।

6.4 किसी भी व्यक्ति को स्थापना के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा ।

7. अतिथि के दायित्व

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न का पालन करेगा, अर्थात :–

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी मे उसकी प्रविष्टि करेगा ।

7.2 वह अच्छा आचरण तथा व्यवहार रखेगा । वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे मोहल्ले में न्यूसेंस उत्पन्न होता हो ।

7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं होवें।

7.4 वह स्वतंत्र किचन संचालित नहीं करेगा।

7.5 जानबूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे व्यक्ति जिसे उसने अनुमति दी हो, इकाई में यदि कोई क्षति करे तो उसकी मरम्मत की क्षतिपूर्ति करेगा । परन्तु ऐसी क्षति में सामान्य वियर एवं टियर शामिल नहीं है ।

7.6 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह भवन स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और स्थापना के नियमों का पालन करेगा।

7.7 वह किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ इकाई में रूकने की अनुमति नहीं देगा ।

8. अतिथियों की शिकायत का निराकरण

8.1 जब कोई सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाऐं जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक को प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसी शिकायत फैक्स, ई–मेल या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष क्रमांक, ई–मेल आई.डी होना चाहिये।

8.2 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस स्थापना का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

9. डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण–पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात –

(क) यदि इकाई के स्वामी में परिवर्तन हो गया हो,
(ख) यदि सम्पत्तिधारक को आपराधिक मामले में दंडित किया गया हो तथा वह जेल में रहा हो,
(ग) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया घोषित हो गया हो,
(घ) यदि सम्पत्तिधारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो ।
(ड) यदि इकाई से पड़ोसी, निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो,
(च) अन्य कोई उपयुक्त कारण ।

9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्यवाही से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्तिधारक को अभियोजित करने की कार्यवाही अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पत्तिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से युक्तियुक्त हटाया जाना प्रस्तावित हो । सम्पत्तिधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में योग्य निर्णय लेंगे ।

9.4 प्रबंध संचालक समय– समय पर ऐसी इकाई के नाम, पते और उनके धारकों के नाम प्रकाशित करेंगे जिनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो ।

9.5 जिस इकाई का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका–2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा।

10. इकाई को प्राप्त सुविधाएँ

10.1 संपत्तिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से स्थानीय निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 संपत्तिधारक पर गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स 2017 के प्रचलित प्रावधान लागू होंगे ।

10.3 विद्युत प्रभार उन्हें म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा।

10.5 संपत्तिधारक को कोई फूड तथा रेस्टारेंट लायसेंस की आवश्यकता नहीं होगी ।

11. निरीक्षण की शक्तियां

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति किन्हीं उपयुक्त अवसरों पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा।

12. प्रचार–प्रसार

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार–प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत होम स्टे की डायरेक्ट्री समय–समय पर (सम्पूर्ण प्रोफाईल) प्रकाशित की जायेगी । (आनलाईन एवं ऑफलाईन)

13. प्रोत्साहन

13.1 गोल्ड श्रेणी में पंजीकृत/अपग्रेडेड होम स्टे को रूपये 25,000/– एवं डायमण्ड श्रेणी में पंजीकृत/अपग्रेडेड होम स्टे को रूपये 50,000/– प्रोत्साहन राशि एक बार (One Time) प्रदान की जायेगी ।

13.2 होम स्टे का ब्रोशर /वेबसाईट बनाने हेतु व्यय का 100% (सौ फीसदी) अथवा अधिकतम रूपये 10,000/– सम्पत्तिधारक को एक बार (One Time) देय होगा ।

13.3 होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% अथवा अधिकतम रूपये 50,000/– तक की प्रोत्साहन राशि बोर्ड द्वारा देय होगी । यह राशि आने जाने के लिए एसी द्वितीय श्रेणी तुल्य रेल यात्रा, प्रदर्शन/प्रचार हेतु स्टॉल लगाने एवं प्रचार सामग्री पर होने वाले व्यय पर देय होगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं हेतु इकॉनामी क्लास का हवाई यात्रा व्यय गणना में लिया जायेगा ।

13.4 कौशल विकास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अधिकतम रूपये 500/– का यात्रा भत्ता प्रति होम स्टे प्रति व्यक्ति बोर्ड द्वारा देय होगा । यह भत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होम स्टे स्थल से भिन्न दूसरे शहर मे होने पर ही देय होगा।

13.5 उपरोक्त प्रोत्साहनों हेतु प्रकरणों का निराकरण परिशिष्ट–2 पर विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा ।

13.6 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्डस अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी में एक श्रेष्ठ होम स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।

14. प्रशिक्षण

संभावित होम स्टे धारकों/ पंजीकृत होम स्टे धारकों को प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी।

15. होम स्टे विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका

प्रदेश में होम स्टे स्थापना हेतु स्व सहायता समूह एवं अलाभकारी संस्थाओं आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

16. योजना को लागू करना

इस योजना को लागू करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या / स्पष्टीकरण / संशोधन

इस योजना की व्याख्या/ स्पष्टीकरण/ संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

प्रपत्र—अ

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) के अंतर्गत पंजीयन का आवेदन पत्र (कंडिका 2.5)

1 होम स्टे का नाम : ....

2 सम्पत्तिधारक का नाम : ....

3 होम स्टे का पता : ....

(क) ई—मेल आई.डी. : ....

(ख) मोबाईल नम्बर : ....

(ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक : ....

4 इकाई का विवरण

(क) इकाई के स्वामित्व अभिलेख का विवरण (निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराए) : ....

(ख) स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा एवं नक्शा (निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराएँ) : ....

(ग) इकाई के सामने की सड़क की चौड़ाई : ....

(घ) इकाई अथवा उसके निकट उपलब्ध पार्किंग की जानकारी : ....

(ड) भू—खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) : ....

(च) कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर) : ....

(छ) भवन परिसर में कुल कक्षों की संख्या : ....

- एक शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : ....
- दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : ....

(ज) इकाई हेतु उपलब्ध कराये जा रहे कक्षों की संख्या : ....

- एक शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : ....
- दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : ....
- स्नानागार तथा शौचालय की संख्या व उनका आकार : ....

(झ) निम्न सुविधा सहित कॉमन एरिया (वर्गमीटर में) : ....

- लॉबी / लाउंज : ....
- डाइनिंग : ....
- अतिरिक्त सुविधाएँ (यदि कोई हों) : ....
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सुविधाएँ : ....
- अग्नि शमन की व्यवस्था का विवरण : ....

5 खाने का प्रकार जो उपलब्ध कराया जायेगा (शाकाहारी / मांसाहारी) : ....

6 कमरे का प्रस्तावित किराया (खानापान सामग्री का अतिरिक्त प्रभार)

(क) एक शैय्या कक्ष : ....

(ख) दो शैय्या कक्ष : ....

7 पंजीयन फीस का विवरण

(क) डिमांड ड्राफ्ट / चैक क्रमांक : ....

(ख) दिनांक : ....

(ग) बैंक का नाम : ....

8 श्रेणीवार चैकलिस्ट अनुसार उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा : ....

9 आवेदन होम स्टे की किस श्रेणी में पंजीयन हेतु किया गया है : ....

10 संलग्न आवश्यक दस्तावेज का विवरण

(क) संपत्तिधारक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि : ....

(ख) इकाई में निवासरत परिवार का विवरण : ....

(ग) इकाई में उपलब्ध सुविधा की चेक लिस्ट : ....

(घ) संपत्ति कर भुगतान रसीद : ....

(ड) इकाई के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति : ....

(च) संपत्तिधारक के आधार कार्ड की प्रति : ....

(छ) पैन कार्ड की प्रति : ....

(ज) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र : ....

(झ) मुख्य मार्ग से इकाई के स्थान का पहुँच मार्ग नक्शा : ....

(ञ) हाउसिंग सोसायटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र : ....

(ट) इकाई के फोटोग्राफ्स : ....

उपर्युक्त जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य व सही है ।

हस्ताक्षर

संपत्तिधारक का नाम ....

स्व–घोषणा–पत्र

मैं श्री .... पिता का नाम श्री .... आयु .... निवासी ....घोषणा करता हूँ कि :–

1 मैंने मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की होम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपने आवासीय भवन के पंजीयन के लिये आवेदन किया है ।

2 मेरे तथा मेरे परिवार के विरूद्ध पुलिस में आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है तथा किसी आपराधिक मामले में मैं दंडित नहीं हुआ हूँ ।

3 मैंने उपरोक्त योजना का भली–भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा ।

हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम ....

प्रारूप – 'ब'

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)

पंजीयन प्रमाण पत्र

(कंडिका क्र. 2.10)

पंजीयन क्रमांक [ ] श्रेणी [ ]

प्रमाणित किया जाता है कि आवास क्रमांक .... जिसके स्वामी श्री / श्रीमती / सुश्री .... है। मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) अंतर्गत संधारित पंजी के क्रमांक .... पर .... श्रेणी में पंजीकृत है ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक .... तक वैध है ।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

प्रारूप – 'स'

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
अतिथियों के आगमन / प्रस्थान की पंजी जो स्थापना स्वामी द्वारा संधारित की जावेगी ।

(कंडिका क्र. 5.1)

- होम स्टे इकाई का नाम ....
- इकाई का पता ....

स. क्र.	अतिथि का नाम	उम्र	स्थायी पता	दूरभाष क्रमांक एवं ई–मेल	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट क्रमांक एवं अन्य पहचान पत्र का विवरण	दिनांक तथा समय		अतिथि कहां से आया	अतिथि कहां के लिए प्रस्थान किया	हस्ताक्षर
							(क) आगमन	(ख) प्रस्थान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)
के अंतर्गत होम स्टे इकाई के स्थापना की स्वीकृति व पंजीयन/उन्नयन की चेक लिस्ट

1 होम स्टे का नाम एवं पता ....

....

2 सम्पत्तिधारक का नाम ....

3 मोबाईल क्रमांक ....

4 ई–मेल आईडी ....

5 **होम स्टे हेतु पात्रता परीक्षण चेक लिस्ट. :–**

स. क्र.	सुविधायें	सिल्वर	गोल्ड	डायमंड	होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा	निरिक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	अतिथि कक्ष : स्वतंत्र रूप से किराए पर देने योग्य न्यूनतम एक कक्ष (2बेड) या अधिकतम छः कक्ष (12 बेड) की उपलब्धता। (सभी कक्ष स्वच्छ), कीट /नमी रहित, हवादार हो।)	M	M	M		
2	सुव्यवस्थित संधारित मकान और अतिथि कक्ष जिसमें गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ कालीन बिछे हो या टाइल्स या मार्बल फ्लोरिंग तथा फर्नीचर आदि की उपलब्धता ।	D	M	M		
3	प्रत्येक कक्ष का न्यूनतम आकार। (वर्ग फिट में)	120	120	180		
4	कक्षों में आरामदायक एवं उच्च गुणवत्ता की चादरों, गिलाफों से युक्त बेड की उपलब्धता ।	M	M	M		
5	प्रत्येक कक्ष के साथ अटैच्ड स्नानागार एवं प्रसाधन की उपलब्धता ।	D	M	M		

6	प्रत्येक स्नानागार का न्यूनतम आकार (वर्ग फीट में) ।	30	45	60		
7	प्रसाधन में पाश्चात्य शैली की बैठक, ढक्कन एवं टॉयलेट पेपर इत्यादि आधुनिक प्रसाधनों की उपलब्धता ।	D	M	M		
8	गर्म और ठंडे पानी की अबाधित उपलब्धता एवं गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था ।	D	M	M		
9	धुऑरहित, आरोग्यशील, कीट रहित एवं स्वच्छ किचिन की व्यवस्था ।	D	M	M		
10	भोजन ग्रहण करने हेतु स्वतंत्र स्थान की उपलब्धता।	D	M	M		
11	उत्तम गुणवत्ता की क्राकरी एवं कटलरी की उपलब्धता।	M	M	M		
12	कक्षों में एसी / हीटर की उपलब्धता जिससे कमरों का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहे ।	D	M	M		
13	कक्षों में सीलिंग पंखों की उपलब्धता।	M	M	M		
14	आयरन (प्रेस) तथा आयरन स्टैण्ड की उपलब्धता ।	D	D	M		
15	वाई फाई कनेक्शन की उपलब्धता ।	D	M	M		
16	प्रत्येक कक्षों में केबल कनेक्शन / डीटीएच सहित टीवी की उपलब्धता।	D	D	M		
17	प्रत्येक कक्ष में इन्टरकाम की उपलब्धता ।	D	M	M		
18	न्यूनतम चार हेंगर एवं कपड़े रखने हेतु एक अलमारी (वार्डरोब) की उपलब्धता ।	M	M	M		
19	शेल्वस एवं ड्रावर युक्त अलमारी की उपलब्धता ।	D	M	M		
20	पीने के लिए आर.ओ. / एक्वागार्ड/ मिनरल पानी की व्यवस्था ।	M	M	M		
21	उच्च गुणवत्तायुक्त कुर्सियाँ, राइटिंग टेबल और अन्य आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता।	M	M	M		

22	कपड़े धुलाई हेतु वाशिंग मशीन/ड्रायर की उपलब्धता एवं ड्राई क्लीनिंग की उचित व्यवस्था ।	D	D	M		
23	कक्षों में रेफ्रीजरेटर की उपलब्धता।	D	D	M		
24	बरामदे एवं लाउन्ज में बैठक व्यवस्था।	D	D	M		
25	पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं मुख्य मार्ग तक सुगम पहुंच मार्ग की उपलब्धता।	D	M	M		
26	स्थानीय निकायों के नियमानुसार कचरा निपटान व्यवस्था ।	M	M	M		
27	ऑनलाइन भुगतान तथा मनी ट्रान्सफर की उचित व्यवस्था ।	D	D	M		
28	अधिकृत स्थान पर चिकित्सा व्यवस्था तथा चिकित्सक इत्यादि के नाम, पते एवं दूरभाष क्रमांक का प्रदर्शन ।	M	M	M		
29	अतिथियों के छूटे सामान की उचित देखभाल एवं रखरखाव की व्यवस्था ।	M	M	M		
30	अतिथियों के सामान को लाने–ले जाने की व्यवस्था। (अनुरोध पर)	D	D	M		
31	अतिथियों के सामान की सुरक्षा हेतु 'सेफ' की व्यवस्था ।	D	M	M		
32	दमकल विभाग के नियमानुसार आग से बचाव, अग्निशमन आपातकालीन निकासी (इमरजेंसी एग्जिट) इत्यादि की समुचित व्यवस्था।	D	D	M		
33	समुचित संख्या में सुरक्षाकर्मियों की हर समय उपलब्धता ।	D	M	M		
34	अतिथि–पंजी की उपलब्धता/संधारण।	M	M	M		

टिप्पणी – अलग–अलग श्रेणी में ग्रेडिंग उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवा की गुणवत्ता के आधार पर होगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

- **निरीक्षण समिति का स्पष्ट अभिमत :–**

आज दिनांक .... को आवेदक इकाई का आवेदन दिनांक .... के परिपालन में समिति द्वारा निरीक्षण किया गया । आवेदक इकाई होम स्टे योजना 2010 (संशोधित 2018) की कंडिका (2) के अनुसार ....होम स्टे पंजीयन हेतु उपयुक्त / अनुपयुक्त पाई गई । अतः समिति होम स्टे योजना अंतर्गत ....होम स्टे को .... श्रेणी अन्तर्गत पंजीयन करने /पंजीयन नहीं करने की अनुशंसा करती है ।

नाम	नाम ....
पदनाम	पदनाम ....
(मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड)	(क्षेत्रीय प्रबंधक / प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम)
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट–2

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि प्रकरणों के निराकरण की प्रकिया

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने तक के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, को प्रस्तुत आवेदन (निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–1) ऑन–लाइन एवं डाक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे ।
2. आवेदन पत्र एवं सहपत्र परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में सहायक संचालक/प्रबंधक होम स्टे योजना द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2 दिवस में संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन) को प्रस्तुत किये जायेंगे। (प्रारूप–प्रपत्र–2)
4. संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन) द्वारा प्रकरण व पात्रता का परीक्षण 2 दिवस में कर प्रकरण में त्रुटियों/कमियों को इंगित कर, पात्रता/अपात्रता इंगित कर अथवा पूर्ण पात्र प्रकरण होने पर तदानुसार उल्लेख कर प्रकरण संचालक निवेश संवर्धन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
5. संचालक निवेश संवर्धन द्वारा संयुक्त संचालक (निवेश संवर्धन) से प्राप्त आवेदन नस्ती को 2 दिवस में प्रकरण पूर्ण/अपूर्ण होने व पात्रता/अपात्रता की जानकारी सहित आगामी कार्रवाई हेतु अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जावेगा । अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे :–
   - अ. आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित प्रकरण में त्रुटिपूर्ति हेतु निर्देश दिए जायेंगे ।
   - ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्ती आदेश दिया जायेगा ।
   - स. उपरोक्त सूचना ई–मेल के माध्यम से आवेदक इकाई को दी जायेगी।
   - द. प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु 10 दिवस का समय दिया जायेगा । आवेदक की मांग पर यथा आवश्यक समय दिया जा सकेगा प्रकरण पूर्ण होने पर पुनः अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रकरण पूर्ण होने के 3 दिवस में संयुक्त संचालक/संचालक निवेश संवर्धन के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा ।
   - इ. प्रकरण पूर्ण होने व पात्र होने पर प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे ।
6. प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जायेगा :–
   - क. सहायक संचालक/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी होम स्टे योजना मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल ।
   - ख. संयुक्त/उप संचालक वित्त एवं लेखा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का प्रतिनिधि।

7. जिन प्रकरणों में गोल्ड/डायमंड श्रेणी अंतर्गत पंजीयन आवेदन किया गया हो तथा इन श्रेणियों के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो वहां पुनः निरीक्षण नहीं किया जायेगा । इकाई के आवेदन एवं संबंधित श्रेणी हेतु जारी पंजीयन के आधार पर ही प्रोत्साहन पात्रता की अनुसंशा की जायेगी । प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदन एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर की जायेगी । ऐसे प्रमाणों में निरीक्षण आदि प्रक्रिया लागू नहीं होगी ।

8. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में सुविधाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण योजना में वर्णित चेक लिस्ट के आधार पर किया जायेगा ।

9. उपरोक्त समिति द्वारा संलग्न प्रपत्र–3 संक्षेपिका तैयार कर प्रोत्साहन की राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा संयुक्त संचालक /संचालक निवेश संवर्धन के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को किया जायेगा । यह कार्यवाही 10 दिवस में पूर्ण कर ली जायेगी ।

10. यदि समिति की अनुशंसा पर अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण की वांछित जानकारी पुनः स्वीकृति हेतु संयुक्त संचालक /संचालक निवेश संवर्धन के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी ।

11. अपर प्रबंध संचालक / प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण में स्वीकृत एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया जायेगा । स्वीकृति आदेश संचालक निवेश संवर्धन द्वारा (प्रपत्र–4) जारी किया जावेगा ।

12. संचालक निवेश संवर्धन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्या –37 आयोजना मुख्य शीर्ष 3452 पर्यटन के अंतर्गत योजना शीर्ष 1271 पर्यटन नीति का क्रियान्वयन अथवा जो भी बजट शीर्ष शासन द्वारा नियत किया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु टूरिज्म बोर्ड के वित्त शाखा को 3 दिवस में भुगतान स्वीकृति आदेश पत्र प्रेषित किया जायेगा।

13. वित्त शाखा द्वारा राशि उपलब्ध होने पर 3 दिवस में प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में ऑन–लाइन किया जायेगा ।

14. पात्र प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्ति दिनांक से 45 दिवस में किया जायेगा ।

15. किसी भी प्रकरण में प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्य कारी होगा ।

सचिव,
पर्यटन विभाग

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)

विषय :–मध्यप्रदेश होम स्टे स्थाापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2018 अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति बावत् ।

(1) होम स्टे का नाम : ....

(2) पता : ....

(3) पंजीयन क्रमांक : .... वैधता तिथि ....

(4) सम्पत्ति धारक का नाम : ....

(5) ई–मेल आईडी : ....

(6) मोबाईल नम्बर : ....

(7) गोल्ड / डायमण्ड श्रेणी में पंजीयन/नवीनीकरण अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति का विवरण :–

(7.1) प्रथम बार पंजीकरण की श्रेणी : श्रेणी रहित पूर्व पंजीकृत

(7.2) वर्तमान पंजीकृत श्रेणी : सिल्वर ☐ गोल्ड ☐ डायमण्ड ☐

(7.3) परिवर्तन हेतु श्रेणी : गोल्ड ☐ डायमण्ड ☐

(8) ट्रेवलमार्ट में सहभागिता उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु विवरण :–

(8.1) ट्रेवल मार्ट का नाम : ....

(8.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार : राष्ट्रीय ☐ अन्तर्राष्ट्रीय ☐

(8.3) स्थान एवं दिनांक : .... दिनांक ....

(8.4) यात्रा का माध्यम : रेल्वे यात्रा ☐ विमान यात्रा ☐

(8.5) पीएनआर नंम्बर/टिकट नं. : ....

(8.6) यात्रा दिनांक : ....

(8.7) यात्रा पर व्यय राशि : ....

(रेल्वे टिकिट/बोर्डिंग पास संलग्न करना अनिवार्य है)

(8.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थापित स्टॉल पर व्यय राशि रू. : ....

(8.9) स्थापित स्टॉल निर्माण का : ....

देयक क्रमांक, दिनांक एवं राशि

(देयक संलग्न करना अनिवार्य है)

(9) प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु राशि प्राप्ति हेतु विवरण –

(9.1) प्रचार प्रसार सामग्री प्रकार : वेबसाईट ☐ ब्रोशर ☐

(प्रचार प्रसार सामग्री संलग्न करना अनिवार्य है)

(9.2) प्रचार–प्रसार सामग्री पर व्यय राशि रू. : ....

(9.3) देयक क्रमांक एवं दिनांक

(कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है) : ....

(10) मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सहभागिता उपरान्त प्रोत्साहन अनुदान बावत–

(10.1) प्रशिक्षण का विषय : ....

(10.2) प्रशिक्षित व्यक्तियों के नाम : ....

(10.3) स्थान एवं दिनांक : ....

(10.4) होम स्टे से प्रशिक्षण स्थल की दूरी : ....

(10.5) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की प्रति : ....

अतः अनुरोध है कि मुझे होम स्टे (स्थापना तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) की कंडिका 13 के अंतर्गत बैंक का नाम ....खाता क्रमांक......................................आईएफएससी कोड .... में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री ....होम स्टे का नाम .... स्थान .... जिला................ पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी । उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

मोबाइल नम्बर ....

ई–मेल आईडी ....

होम स्टे योजना
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 **होम स्टे योजना क्या है ?**

उत्तर 1 इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी अपने आवास के किसी भाग को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करा सकेगा। होम स्टे इकाई का पंजीयन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में कराया जा सकता है ।

प्रश्न 2 **मेरे घर के पंजीयन हेतु क्या मापदंड होना चाहिए ?**

उत्तर 2 आपके घर में आपके रहने वाले हिस्से के आलावा कम से कम एक एवं अधिक से अधिक/अतिरिक्त छःकक्ष होने चाहिये और सभी कक्ष पूर्ण रूप से सुसज्जित होना अवाश्यक तथा सभी कक्ष से शौचालय जुड़े होने चाहिए। अन्य विस्तृत मापदण्डो का विवरण वेबसाइट योजना दस्तावेज पर उपलब्ध है ।

प्रश्न 3 **पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है ?**

उत्तर 3 इस हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल द्वारा बेहद सरल एवं आसान चरणों में आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क देकर आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 4 **पंजीयन शुल्क कितना है ? कब और कैसे जमा करना होगा ?**

उत्तर 4 होमे स्टे योजना में पंजीकरण के लिए तीन श्रेणी है, जिनके शुल्क निम्न है—

सिल्वर रू. 1000/ +GST शुल्क अतिरिक्त

गोल्ड रू. 2000/— +GST शुल्क अतिरिक्त

डायमंड रू. 3000/— +GST शुल्क अतिरिक्त

को ऑनलाइन मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के खाते में जमा कराना होगा।

प्रश्न 5 **पंजीकरण की अवधि कितने समय की है, एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है ?**

उत्तर 5 पंजीकरण पंजीयन दिनाक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा एवं तीन वर्ष के पश्चात रूपये 1000/— शुल्क अंतिम तिथि के 3 माह पूर्व जमा कर ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल के माध्यम से नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रश्न 6 **क्या यह योजना सिर्फ शहरों में ही लागू है ?**

उत्तर 6 नहीं । यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी ।

प्रश्न 7 **यदि मेरा घर इंदौर में है जो किराये पर दिया हुआ है और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो क्या इस योजना के लिए आवेदन दे सकता है ?**

उत्तर 7 नहीं । इस योजना के अंतर्गत गृहस्वामी को अपने परिवार के साथ आवास में निवास करना अनिवार्य है।

प्रश्न 8 **कक्षों का किराया किसके द्वारा निर्धारित किया जायेगा ?**

उत्तर 8 किराये को निर्धारित करने का अधिकार ग्रहस्वामी का होगा ।

प्रश्न 9 **आवास हेतु न्यूनतम / अधिकतम कक्षों / बेड्स की संख्या कितनी होगी?**

उत्तर 9 आवास हेतु न्यूनतम 01 (डबल बेड्स)एवं अधिकतम 06 कक्ष (12 बेड्स) होनी चाहिए।

प्रश्न 10 **क्या इकाई में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा सकता है?**

उत्तर 10 नहीं। इकाई में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता है

प्रश्न 11 **क्या आवेदन शुल्क पंजीयन नहीं होने की स्थिति में वापस किया जाता है?**

उत्तर 11 नहीं । आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाता है।

प्रश्न 12 **क्या गृहस्वामी अपनी पंजीकृत श्रेणी को अपग्रेड करा सकता है ?**

उत्तर 12 हाँ । गृहस्वामी अपनी पंजीकृत श्रेणी को अपग्रेड करने हेतु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को आवेदन देकर निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है ।

प्रश्न 13 **इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से क्या लाभ प्राप्त होगा ?**

उत्तर 13 इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण होने की पश्चात् मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से निम्न वित्तीय एवं विभागीय प्रोत्साहन प्राप्त होंगे ।

वित्तीय प्रोत्साहन :

- गोल्ड श्रेणी में पंजीकृत/अपग्रेडड होम स्टे को रूपये 25,000/– एवं डायमंड श्रेणी में पंजीकृत/अपग्रेडेड होम स्टे को रुपये 50,000/– प्रोत्साहन राशि एक बार (one time) प्रदान की जायेगी ।
- होम स्टे का ब्रोशर/वेबसाइट बनाने हेतु व्यय का 100% (सौ फीसदी) अथवा अधिकतम रूपये 10,000/– सम्पत्तिधारक को एक बार (one time) देय होगा ।
- होम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% अथवा अधिकतम रूपये 50,000/– तक की प्रोत्साहन राशि बोर्ड द्वारा देय होगी ।
-

विभागीय प्रोत्साहन :

- प्रत्येक श्रेणी में एक श्रेष्ठ होम स्टे को अवार्ड दिया जायेगा ।
- वेबसाइट पर फोटोग्राफ के साथ पंजीकृत होमेस्टे का प्रचार–प्रसार किया जायेगा ।
- पंजीकृत होम स्टे का प्रचार–प्रसार किया जायेगा ।

प्रश्न 14 **इकाई धारक को क्या–क्या पंजीयॉ दस्तावेज संधारित करनी होगी ?**

उत्तर 14 इकाई धारक को निम्न पंजीयॉ दस्तावेज संधारित करनी होगी

1. अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान का विवरण ।
2. अतिथियों के फीड बेक की पंजी ।
3. अतिथियों को उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं का विवरण एवं दर ।
4. कमरों की दर एवं नियमावली ।

प्रश्न 15 **क्या पर्यटकों को सुविधाएँ उपलब्ध करवाना आवश्यक है ?**

उत्तर 15 पर्यटक को खान–पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा की वादा किया जाये उपलब्ध करना आवश्यक है ।

प्रश्न 16 **यदि अतिथि द्वारा दोपहर / रात्रि भोजन की मांग की गई, तो प्रक्रिया होगी ?**

उत्तर 16 यदि आप दोपहर/रात्रि भोजन प्रदाय कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने मैन्यु के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लेकर भोजन प्रदाय किया जा सकता है।

प्रश्न 17 **क्या अतिथि को शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन प्रदाय करना आवश्यक है?**

उत्तर 17. नहीं । मैन्यु में भोजन के चयन की स्वतंत्रता ग्रह्स्वामी की रहेगी। यदि ग्रह्स्वामी शाकाहारी है, तो सिर्फ

शाकाहारी भोजन प्रदाय कर सकता है । यह सुचना पर्यटक को आगमन के समय अथवा आरक्षण के समय अवगत करना बेहतर होगा।

प्रश्न 18 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड मेरी इकाई का नाम अपनी डायरेक्टरी से किन परिस्थिति में हटा सकता है ?

उत्तर 18 पंजीयन प्रमाण—पत्र निम्न आधार पर निरस्त कर सकेगा,

(क) यदि इकाई के स्वामी में परिवर्तन हो गया हो ।

(ख) यदि सम्पत्तिधारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो।

(ग) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया घोषित हो गया हो।

(घ) यदि सम्पत्तिधारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

(च) यदि इकाई से पड़ोसी,मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो।

(ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण।

ज्ञात रहे :— जिस इकाई का पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो, वह पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका—2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

प्रश्न 19 क्या ग्रहस्वामी का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है ?

उत्तर 19 हाँ । पंजीयन पश्चात ग्रहस्वामी का पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित समयावधि में आवश्यक है ।

प्रश्न 20 इकाई के विरुद्ध शिकायत का निराकरण कैसा होगा ?

उत्तर 20 जब कोई सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएं जैसा कि वह वचन देता है उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि की लिखित शिकायत प्रबंध संचालक को प्रस्तुत कर सकेगा । प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा स्थापना का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्टरी से हटा देगी ।

———————— X ————————

WHY OPEN UP YOUR HOME ?

MAKE MONEY

MAKE FRIENDS

MAKE MEMORIES

ECONOMIC IMPACT

SOCIAL IMPACT

ENVIRONMENTAL IMPACT

मध्य प्रदेश पर्यटन

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट

वसुधैव कुटुम्बकम

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजनाए, 2019

विषय– मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले भवन को "इकाई" से संबोधित किया जायेगा, मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "इकाई" भूमि/भवन के स्वामी (पंजीकृत/लीजग्रहीता) को "संपत्तिधारक" से संबोधित किया जायेगा एवं मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "संपत्तिधारक" द्वारा "इकाई" की देखभाल करने हेतु अधिकृत व्यक्ति जो सदैव इकाई में निवासरत हो, को "केयर टेकर" से संबोधित किया जायेगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य –

(अ) देशी–विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/ भोजन आदि सुविधा प्रदाय करना।

(ब) देशी–विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराना।

(स) नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन एवं रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना ।

(द) स्थानीय स्तर पर पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि।

(इ) प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार।

1.5 होटल, मोटल, गेस्ट हाउस आदि इस योजनांतर्गत पंजीकृत नहीं किए जायेंगे।

1.6 योजना संचालन के दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र.टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे ।

2. पंजीयन

2.1 इकाई में न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष(12 शैय्या) पर्यटक/अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे।

2.2 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई पंजीयन हेतु शुल्क रू. 2000/– एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाई पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड/चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

2.4 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।

2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रू. 2000/– जी.एस.टी.शुल्क एवं निर्धारित दस्तावेज, वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/ NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चौक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नही होगी । आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'इकाई' को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थातः–

(क) यह कि इकाई विशुद्धतः आवासीय हो। इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयरटेकर (देखभाल करने वाला) भौतिक रूप से उसमें सतत् निवासरत हो। इकाई में किचन का संचालन किया जाता हो।

(ख) यह कि सम्पत्तिधारक/केयरटेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को ही किराये पर दे सकेगा जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, जिसमें अधिकतम 12 शैय्या होगी।

(ग) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, उर्जा/विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर आदि सुविधाएं उपयुक्त एवं आरामदायक होगी। कक्षों में हवा आने– जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।

(घ) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ–सफाई की उत्तम व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो

(ङ) किसी एक संपत्तिधारक द्वारा एक ही परिसर/कॉलोनी भवन में पृथक–पृथक बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा

(च) इकाई तक विधिवत पहुंच मार्ग हो एवं इकाई के आसपास कोई अस्वच्छ/प्रदूषणकारी गतिविधि संचालित नहीं हो ।

(छ) अन्य कोई शर्ते जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावें।

2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर उसकी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा ।

2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाए देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। इकाई के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

2.12 'इकाई' के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा।

2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित इकाईयों की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में संधारित की जायेगी।

2.14 पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रति निकटस्थ पुलिस थाना प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

3. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रूपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'इकाई' निर्हर होगी

(क) यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

(ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयरटेकर दिवालिया हो गया हो, या

(ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका–9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. सम्पतिधारक का दायित्व होगा कि वह

5.1 अतिथि / पर्यटक को स्वच्छ एवं सुविधाजनक आवास एवं नाश्ता (ब्रेकफास्ट) उपलब्ध कराये।

5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पॉच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

5.3 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई में रूकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर प्रेषित करना होगा। विदेशी अतिथियों का ब्यौरा स्थानीय पुलिस को उनके आगमन के 24 घंटे के अंदर देना होगा।

5.4 इकाई में कार्यरत केयरटेकर / कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराया जाना होगा।

5.5 इकाई को अच्छी हालत में संधारित रखना होगा। भवन की साफ-सफाई, सुरक्षा (जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है) का प्रबंध करना होगा।

5.6 'इकाई' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन / आउट का समय तथा इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.8 अतिथियों को ठहरने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, इकाई में चेक इन तथा चेक आउट का समय आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.9 अतिथियों को खान-पान तथा अन्य सुविधाएं जैसा कि वादा किया जाये उपलब्ध कराना होगा।

5.10 कर्मचारियों के लिए वर्दी निर्धारित करना होगा। वर्दी में दिखाई देने वाले स्थान पर नाम पट्टिका लगानी होगी।

5.11 इकाई के विरूद्ध शिकायत करने के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

5.12 इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिर्वतन हो तो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उसके अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजना होगा ।

5.13 अतिथियों की सुरक्षा संपत्तिधारक / केयरटेकर की जिम्मेदारी होगी।

6. सम्पतिधारक / केयर टेकर

6.1 पृथक फ्रंट आफिस / स्वागतकक्ष संधारित नहीं करेगा तथा इकाई को सामान्य आवासीय भवन की तरह रखेगा ।

6.2 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले / कॉलोनी के निवासियों की निजता या अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।

6.3 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना / सुविधाओं के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा।

6.4 अतिथि के द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखेगा, जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधि सम्मत निर्देश न दिये गये हों।

6.5 अतिथि की निजता का सम्मान करेगा।

6.6 अतिथि को स्थान, पर्यटक स्थलों, बाजारों, परिवहन आदि के संबंध में सही व प्रामाणिक जानकारी देगा।

6.7 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।

6.8 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.9 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था / प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

6.10 सम्पत्तिधारक/केयरटेकर/इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्तियों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्तियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात :—

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा ।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा । वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/मोहल्ले/कॉलोनी में बाधा (nuisance) उत्पन्न होता हो।

7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।

7.4 वह स्वतंत्र किचन संचालित नहीं करेगा।

7.5 जानबूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे व्यक्ति जिसे उसने अनुमति दी हो, द्वारा इकाई में यदि कोई क्षति पहुंचे तो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। ऐसी क्षति में सामान्य टूट—फूट शामिल नहीं है।

7.6 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह संपत्तिधारक/केयरटेकर को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई के नियमों का पालन करेगा।

7.7 वह आगन्तुक पंजी में दर्ज कराये अतिथि से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को निजी तौर पर रात्रि में स्वयं के साथ इकाई में रूकने की अनुमति नहीं देगा/रूकने की अनुमति हेतु संपत्तिधारक को बाध्य नहीं करेगा।

7.8 आवास छोड़ते समय विधिवत चेक आउट करायेगा एवं अतिथि पंजी में प्रस्थान दर्ज करेगा।

7.9 परिसर के सुचारू संचालन के लिए बनाये गये नियम निर्देशों का पालन करेगा।

7.10 विदेशी अतिथि आगमन/चेक इन के 24 घण्टे के अन्दर स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने आगमन की सूचना देंगे।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।

8.4 उक्त फीडबैक/सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।

8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक/केयर टेकर अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएँ जैसा कि वह वचन देता है,उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई—मेल (mdmptb@mp.gov.in) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई—मेल आई.डी. होना चाहिये।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती है। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत को जांच तथा सम्पतिधारक को पक्ष प्रस्तुति का युक्तियुक्त अवसर देने के

पश्चात या तो समाधान कारक रूप से निरस्त करेगा अथवा शिकायत सत्य प्रमाणित होने पर इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण–पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात

(क) यदि संपत्तिधारक/केयरटेकर में बिना अनुमति परिवर्तन कर दिया गया हो,

(ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर दिवालिया घोषित हो गया हो,

(घ) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,

(च) यदि इकाई से पड़ोसी,मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो,

(ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण,

9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पतिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो। सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 अतिथि शिकायत पर निरस्त पंजीयन को छोड़कर अन्य नियम पालन संबंधी कारणों से इकाई का पंजीयन निरस्त होने पर, वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन ग्रहण किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर कंडिका–2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण उपरांत प्रबंध संचालक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

10. इकाई को प्राप्त सुविधाएँ

10.1 इकाई जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा।

10.3 इकाई को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा।

10.5 इकाई को फूड तथा रेस्टोरेन्ट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियाँ

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार–प्रसार

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार–प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाइयों की डायरेक्ट्री/प्रोफाइल समय–समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी।

13. प्रोत्साहन

13.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म पुरस्कार (अवार्डस्) अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को अवार्ड दिया जायेगा ।

13.2 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में भाग ले सकेगा ।

13.3 होम स्टे का ब्रोशर/वेबसाईट बनाने हेतु व्यय का 100% (सौ फीसदी) अथवा अधिकतम रू. 10,000/– सम्पत्तिधारक को एक बार (One time) देय होगा । संबंधित प्रोत्साहन हेतु प्रपत्र –1 में आवेदन किया जा सकेगा ।

13.4 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000/– अनुदान दिया जाएगा।

13.5 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो /बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी–II श्रेणी देश में/विदेश भ्रमण हेतु इकॉनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपये 50,000/– का अनुदान दिया जाएगा ।

13.6 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 15,000/– अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 20,000/– अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 25,000/– अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.7 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र–1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र–2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण

संभावित बेड एण्ड ब्रेकफास्ट धारकों/पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट विकास में निजी क्षेत्र/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका

15.1 प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना हेतु पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना

इस योजना को लागू करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या / स्पष्टीकरण / संशोधन

इस योजना की व्याख्या / स्पष्टीकरण / संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना,2019 के अंतर्गत पंजीयन का आवेदन पत्र (कंडिका 2.6)

1. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई का नाम :..
   बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई डाक का पूरा पता :..
   (क) ईमेल आई.डी. :..
   (ख) मोबाईल नम्बर :..
   (ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक :..
2. सम्पत्तिधारक का नाम :..
   सम्पत्तिधारक का पता :..
   (क) ईमेल आई.डी. :..
   (ख) मोबाईल नम्बर :..
   (ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक :..
3. केयर टेकर का नाम :..
   केयर टेकर का पता :..
   (क) ईमेल आई.डी. :..
   (ख) मोबाईल नम्बर :..
   (ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक :..
4. इकाई का विवरण
   (क) इकाई के स्वामित्व अभिलेख का विवरण :..
   (निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराएँ) :..
   (ख) स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा एवं नक्शा :..
   (निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराएँ)
   (ग) इकाई के सामने की सड़क की चौड़ाई :..
   (घ) इकाई अथवा उसके निकट उपलब्ध पार्किंग की जानकारी :..
   (ड.) भू–खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) :..
   (च) कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर) :..
   (छ) भवन परिसर में कुल कक्षों की संख्या :..
   - एक शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार :..
   - दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार :..

   (ज) इकाई हेतु उपलब्ध कराये जा रहे कक्षों की संख्या :..
   - एक शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : ....
   - दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार :..
   - स्नानागार तथा शौचालय की संख्या व उनका आकार : ....

   (झ) अन्य सुविधा
   - लॉबी / लाउंज : ....
   - डाइनिंग :..

- अतिरिक्त सुविधाएँ (यदि कोई हों) : ....
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सुविधाएँ :..
- अग्नि शमन की व्यवस्था का विवरण : ....

5. खाने का प्रकार जो उपलब्ध कराया जायेगा
(शाकाहारी / मांसाहारी / दोनों प्रकार का) :..

6. कमरे का प्रस्तावित किराया
(खानापान सामग्री का अतिरिक्त प्रभार) : ....
(क) एक शैय्या कक्ष : ....
(ख) दो शैय्या कक्ष : ....

7. पंजीयन फीस का विवरण
(क) डिमांड ड्राफ्ट / चैक क्रमांक : ....
(ख) दिनांक : ....
(ग) बैंक का नाम : ....

8. संलग्न आवश्यक दस्तावेज का विवरण
- संपत्तिधारक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि : ....
- इकाई में निवासरत (केयरटेकर) व्यक्ति / परिवार का विवरण : ....
- इकाई में उपलब्ध सुविधा की चेक लिस्ट : ....
- संपत्ति कर भुगतान रसीद : ....
- इकाई के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति :..
- संपत्तिधारक के आधार कार्ड की प्रति :..
- केयरटेकर के आधार कार्ड की प्रति :..
- पैन कार्ड की प्रति : ....
- जी.एस.टी. प्रमाण पत्र (यदि हो) :..
- मुख्य मार्ग से इकाई के स्थान का पहुँच मार्ग नक्शा : ....
- हाउसिंग सोसायटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र : ....
- इकाई के फोटोग्राफ्स : ....

उपर्युक्त जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य व सही है ।

हस्ताक्षर

संपत्तिधारक का नाम ....

स्व–घोषणा–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री .... पिता/ पति का नाम श्री ....
आयु .... निवासी ....
घोषणा करता/करती हुँ कि:–

1 मैंने मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2019 के अन्तर्गत अपने भवन के पंजीयन के लिये आवेदन किया है।

2 जिसमें श्री /श्रीमती / सुश्री .... पिता / पति का नाम श्री.................................. आयु......... निवासी.................................... क्रमांक... को इकाई की देखभाल हेतु केयरटेकर नियुक्त किया गया है।

3 मेरे तथा मेरे परिवार तथा केयर टेकर के विरूद्ध पुलिस में आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है तथा किसी आपराधिक मामले में दंडित नहीं हुआ है।

4 मेरे द्वारा उपरोक्त योजना का भली–भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं संपूर्ण शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम ....

प्रारूप – ब

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019
पंजीयन प्रमाण पत्र

(कंडिका क्र. 2.11)

पंजीयन क्रमांक [ ]

प्रमाणित किया जाता है कि .... बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई, स्थान/पता ....जिसके स्वामी श्री/श्रीमती/सुश्री .... है । मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत संधारित पंजी के क्रमांक ....पर पंजीकृत है ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक .... तक वैध है ।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

प्रारूप – स

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
अतिथियों के आगमन / प्रस्थान की पंजी जो स्थापना स्वामी द्वारा संधारित की जावेगी ।
(कंडिका क्र. 5.2)

- बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई का नाम.................................
- इकाई का पता.................................

स. क्र.	अतिथि का नाम	उम्र	स्थायी पता	दूरभाष क्रमांक एवं ई–मेल	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट क्रमांक एवं अन्य पहचान पत्र का विवरण	दिनांक तथा समय		अतिथि कहां से आया	अतिथि कहां के लिए प्रस्थान किया	हस्ताक्षर
							(क) आगमन	(ख) प्रस्थान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट – यदि अतिथि के साथ अन्य व्यक्ति या परिवार है तो उनके ब्यौरे एवं अतिथि से संबंध की जानकारी भी पंजी में दर्ज की जाये ।

परिशिष्ट – 1

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना,2019 के अंतर्गत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई के स्थापना की स्वीकृति व पंजीयन की चेक लिस्ट

- इकाई का नाम एवं डाक का पूरा पता..
  ....
- सम्पत्तिधारक का नाम..
- मोबाईल क्रमांक..
- ई–मेल आईडी ....
- पंजीयन हेतु पात्रता परीक्षण चेक लिस्ट :–

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक है या वांछनीय	सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	अतिथि कक्ष : स्वतंत्र रूप से किराए पर देने योग्य न्यूनतम एक कक्ष (2बेड) या अधिकतम छ: कक्ष (12बेड) की उपलब्धता। (सभी कक्ष स्वच्छ कीट/नमी रहित,हवादार हो।)	आवश्यक		
2	सुव्यवस्थित संधारित मकान और अतिथि कक्ष जिसमें गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ कालीन बिछे हो या टाइल्स या मार्बल फ्लोरिंग तथा फर्नीचर आदि की उपलब्धता।	आवश्यक		
3	प्रत्येक कक्ष का न्यूनतम आकार। (120 वर्ग फिट में)	आवश्यक		
4	कक्षों में आरामदायक एवं उच्च गुणवत्ता की चादरों, गिलाफों से युक्त बेड की उपलब्धता।	आवश्यक		
5	प्रत्येक कक्ष के साथ अटैच्ड स्नानागार एवं प्रसाधन की उपलब्धता ।	वांछनीय		
6	प्रत्येक स्नानागार का न्यूनतम आकार (30 वर्ग फीट में) ।	आवश्यक		
7	प्रसाधन में पाश्चात्य शैली की बैठक,ढक्कन एवं टॉयलेट पेपर	आवश्यक		

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक है या वांछनीय	सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
	इत्यादि आधुनिक प्रसाधनो की उपलब्धता ।			
8	गर्म और ठंडे पानी की अबाधित उपलब्धता एवं गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था ।	आवश्यक		
9	धुआँरहित, आरोग्यशील, कीट रहित एवं स्वच्छ किचिन की व्यवस्था ।	आवश्यक		
10	भोजन ग्रहण करने हेतु स्वतंत्र स्थान की उपलब्धता।	वांछनीय		
11	उत्तम गुणवत्ता की क्राकरी एवं कटलरी की उपलब्धता।	आवश्यक		
12	कक्षों में एसी/हीटर की उपलब्धता जिससे कमरों का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहे ।	वांछनीय		
13	कक्षों में सीलिंग पंखों की उपलब्धता।	आवश्यक		
14	आयरन (प्रेस) तथा आयरन स्टैण्ड की उपलब्धता ।	वांछनीय		
15	वाई फाई कनेक्शन की उपलब्धता ।	वांछनीय		
16	प्रत्येक कक्षों में केबल कनेक्शन/ डीटीएच सहित टीवी की उपलब्धता।	वांछनीय		
17	प्रत्येक कक्ष में इन्टरकाम की उपलब्धता ।	वांछनीय		
18	न्यूनतम चार हेंगर एवं कपड़े रखने हेतु एक अलमारी (वार्डरोब) की उपलब्धता ।	आवश्यक		
19	शेल्वस एवं ड्रावर युक्त अलमारी की उपलब्धता ।	आवश्यक		
20	पीने के लिए आर.ओ / एक्वागार्ड /मिनरलपानी की व्यवस्था ।	आवश्यक		
21	उच्च गुणवत्तायुक्त कुर्सियाँ राइटिंग टेबल और अन्य आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता।	आवश्यक		

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक है या वांछनीय	सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
22	कपड़े धुलाई हेतु वाशिंग मशीन/ ड्रायर की उपलब्धता एवं ड्राई क्लीनिंग की उचित व्यवस्था ।	वांछनीय		
23	कक्षों में रेफ्रीजरेटर की उपलब्धता।	वांछनीय		
24	बरामदे एवं लाउन्ज में बैठक व्यवस्था।	वांछनीय		
25	पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं मुख्य मार्ग तक सुगम पहुंच मार्ग की उपलब्धता।	आवश्यक		
26	स्थानीय निकायों के नियमानुसार कचरा निपटान व्यवस्था ।	आवश्यक		
27	ऑनलाइन भुगतान तथा मनी ट्रान्सफर की उचित व्यवस्था।	वांछनीय		
28	अधिकृत स्थान पर चिकित्सा व्यवस्था तथा चिकित्सक इत्यादि के नाम, पते एवं दूरभाष क्रमांक का प्रदर्शन ।	आवश्यक		
29	अतिथियों के छूटे सामान की उचित देखभाल एवं रखरखाव की व्यवस्था ।	आवश्यक		
30	अतिथियों के सामान को लाने-ले जाने की व्यवस्था। (अनुरोध पर)	वांछनीय		
31	अतिथियों के सामान की सुरक्षा हेतु 'सेफ' की व्यवस्था।	आवश्यक		
32	दमकल विभाग के नियमानुसारआग से बचाव,अग्निशमन आपातकालीन निकासी (इमरजेंसी एग्जिट) इत्यादि की समुचित व्यवस्था।	आवश्यक		
33	समुचित संख्या में कर्मियों (अटेंडेंट्स) की हर समय उपलब्धता ।	आवश्यक		
34	अतिथि-पंजी की उपलब्धता/संधारण।	आवश्यक		

आवेदक के हस्ताक्षर

- **निरीक्षणकर्ता अधिकारी का अभिमत :—**

आज दिनांक .... को आवेदक इकाई का आवेदन दिनांक .... के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। आवेदक इकाई मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 की कंडिका (2) के अनुसार .... पंजीयन हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त पाई गई। अतः बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना अंतर्गत .... इकाई को पंजीयन करने/पंजीयन नहीं करने की अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी

नाम ....

पदनाम ....

(मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड)

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट – 2

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि प्रकरणों के निराकरण की प्रकिया

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने तक के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत आवेदन **(निर्धारित प्रारूप–अ)** ऑन–लाइन एवं डाक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे।
2. आवेदन पत्र एवं सहपत्र परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में सहायक संचालक/प्रबंधक बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2 दिवस में प्रभारी संयुक्त संचालक को प्रस्तुत किये जायेंगे। **(प्रारूप–प्रपत्र–2)**
3. प्रभारी संयुक्त संचालक द्वारा प्रकरण व पात्रता का परीक्षण 2 दिवस में कर प्रकरण में त्रुटियों/कमियों को इंगित कर, पात्रता/अपात्रता इंगित कर अथवा पूर्ण पात्र प्रकरण होने पर तदानुसार उल्लेख कर प्रकरण प्रभारी संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. प्रभारी संचालक द्वारा संयुक्त संचालक से प्राप्त आवेदन नस्ती को 2 दिवस में प्रकरण पूर्ण/अपूर्ण होने व पात्रता/अपात्रता की जानकारी सहित आगामी कार्यवाही हेतु अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जावेगा । अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे :–
   अ. आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित प्रकरण में त्रुटिपूर्ति हेतु निर्देश दिए जायेंगे ।
   ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्ती आदेश दिया जायेगा ।
   स. उपरोक्त सूचना ई–मेल के माध्यम से आवेदक इकाई को दी जायेगी।
   द. प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु 10 दिवस का समय दिया जायेगा। आवेदक की मांग पर यथा आवश्यक समय दिया जा सकेगा। प्रकरण पूर्ण होने पर पुनः अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रकरण पूर्ण होने के 3 दिवस में संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
   इ. प्रकरण पूर्ण होने व पात्र होने पर प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे।
5. प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जायेगाः–
   (क) सहायक संचालक/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल।
   (ख) संयुक्त / उप संचालक वित्त एवं लेखा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का प्रतिनिधि।
   (ग) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य ।
6. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में सुविधाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण योजना में वर्णित चेक लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

7. उपरोक्त समिति द्वारा संलग्न प्रपत्र–3 संक्षेपिका तैयार कर प्रोत्साहन की राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को किया जायेगा । यह कार्यवाही 10 दिवस में पूर्ण कर ली जायेगी।
8. यदि समिति की अनुशंसा पर अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण की वांछित जानकारी पुनः स्वीकृति हेतु संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी।
9. अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण में स्वीकृत एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया जायेगा। स्वीकृति आदेश संचालक द्वारा (प्रपत्र–4) जारी किया जावेगा।
10. संचालक द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्या–37 आयोजना मुख्य शीर्ष 3452 पर्यटन के अंतर्गत योजना शीर्ष 1271 पर्यटन नीति का क्रियान्वयन अथवा जो भी बजट शीर्ष शासन द्वारा नियत किया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु टूरिज्म बोर्ड के वित्त शाखा को 3 दिवस में भुगतान स्वीकृति आदेश पत्र प्रेषित किया जायेगा।
11. वित्त शाखा द्वारा राशि उपलब्ध होने पर 3 दिवस में प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में ऑन–लाइन किया जायेगा।
12. पात्र प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्ति दिनांक से 45 दिवस में किया जायेगा।
13. किसी भी प्रकरण में प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

उप सचिव
पर्यटन विभाग

प्रपत्र – 1

मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)

विषयः– मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति बावत् ।

(1) बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई का नाम :..

(2) पता :..

(3) पंजीयन क्रमांक : .... वैधता तिथि ....

(4) सम्पत्ति धारक का नाम :..

(5) ई–मेल आईडी :..

(6) मोबाईल नम्बर : ....

(7) प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु राशि प्राप्ति हेतु विवरण –

(7.1) प्रचार प्रसार सामग्री प्रकार

(प्रचार प्रसार सामग्री संलग्न करना अनिवार्य है) :वेबसाईट ☐ ब्रोशर ☐

(7.2) प्रचार–प्रसार सामग्री पर व्यय राशि रू. : ....

(7.3) देयक क्रमांक एवं दिनांक : ....

(कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)

(8) प्रोत्साहन अनुदान : प्रथम वर्ष ☐ द्वितीय वर्ष ☐ तृतीय वर्ष ☐

(8.1) पर्यटक / अतिथि आवास

दिवस की संख्या एवं अवधि प्रथम वर्ष .... अवधि ....से..........तक

द्वितीय वर्ष ..... अवधि ....से............तक

तृतीय वर्ष .... अवधि ....से............तक

(निर्धारित प्रारूप (द) में संधारित पंजी की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।)

(9) ट्रेवलमार्ट में सहभागिता उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु विवरण :–

(9.1) ट्रेवल मार्ट का नाम :...

(9.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार : राष्ट्रीय ☐ अन्तर्राष्ट्रीय ☐

(9.3) स्थान : .... दिनांक ....

(9.4) यात्रा का माध्यम : रेल्वे यात्रा ☐ विमान यात्रा ☐

(9.5) पीएनआर नंम्बर / टिकट नं. : ....

(9.6) यात्रा दिनांक : ....

(9.7) यात्रा पर व्यय राशि : ....
(रेल्वे टिकिट / बोर्डिंग पास संलग्न करना अनिवार्य है)
(9.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थापित स्टॉल पर व्यय राशि : ....
(9.9) स्थापित स्टॉल निर्माण का देयक क्रमांक, दिनांक एवं राशि
(देयक संलग्न करना अनिवार्य है) : ....

अतः अनुरोध है कि मुझे मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अंतर्गत बैंक का नाम ....खाता .... क्रमांक...................................... आईएफएससी कोड .... में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री .... बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई का नाम .... स्थान .... जिला............ पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वंय उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी । उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम ....
मोबाइल नम्बर ....
ई—मेल आईडी ....

.

बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना क्या है ?

उत्तर 1 इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में संपत्तिधारकों की उपलब्ध अतिरिक्त आवासीय संपत्ति को पर्यटन प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। इकाई का पंजीयन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में कराया जा सकता है ।

प्रश्न 2 होम स्टे योजना एवं बेड एंड ब्रेकफॉस्ट योजना में क्या अंतर हैं ?

उत्तर 2 होम स्टे योजना में संपत्तिधारक का इकाई में निवास करना आवश्यक है परंतु बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में इकाई का संचालन संपत्तिधारक स्वयं अथवा उनके द्वारा नियुक्त केयरटेकर द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न 3 मेरे घर के पंजीयन हेतु क्या मापदंड होना चाहिए ?

उत्तर 3 आपके घर में आपके रहने वाले हिस्से के आलावा कम से कम एक एवं अधिक से अधिक छः अतिरिक्त कक्ष होने चहिये और सभी कक्ष पूर्ण रूप से सुसज्जित होना अवाश्यक है तथा सभी कक्ष से शौचालय जुड़े होने चाहिए। अन्य विस्तृत मापदण्डो का विवरण वेबसाइट/योजना दस्तावेज पर उपलब्ध है ।

प्रश्न 4 पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर 4 इस हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल द्वारा बेहद सरल एवं आसान चरणों में आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क देकर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 5 पंजीयन शुल्क कितना है ? कब और कैसे जमा करना होगा ?

उत्तर 5 इस योजना में पंजीकृत के लिए पंजीयन हेतु शुल्क रू. 2000/– एवं जीएसटी आवेदन शुल्क को ऑनलाईन आवेदन के साथ म.प्र.टूरिज्म बोर्ड के खाते में जमा कराया जा सकता है।

प्रश्न 6 पंजीयन की अवधि कितने समय की है, नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर 6 पंजीकरण पंजीयन दिनाकं से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा एवं तीन वर्ष के पश्चात रूपये 2000/–. जी. एस.टी. शुल्क अंतिम तिथि के 3 माह पूर्व ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल के माध्यम से जमा करके नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रश्न 7 क्या यह योजना सिर्फ शहरों में ही लागू है ?

उत्तर 7 नहीं। यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी ।

प्रश्न 8 यदि मेरा घर इंदौर में है जो किराये पर दिया हुआ है और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो क्या इस योजना के लिए आवेदन दे सकता है ?

उत्तर 8 हाँ। इस योजना के अंतर्गत गृहस्वामी एक केयरटेकर (देखभाल करने वाला) नियुक्त कर सकता है, जो भौतिक रूप से उसमें सतत् निवासरत हो।

प्रश्न 9 क्या केयर टेकर द्वारा इकाई का संचालन किया जा सकता है ?

उत्तर 9 हाँ। केयर टेकर द्वारा इकाई का संचालन किया जा सकता है ।

प्रश्न 10 कक्षों का किराया किसके द्वारा निर्धारित किया जायेगा ?

उत्तर 10 किराये को निर्धारित करने का अधिकार गृहस्वामी का होगा ।

प्रश्न 11 क्या गृहस्वामी/केयर टेकर का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है ?

उत्तर 11 हाँ। पंजीयन पश्चात गृहस्वामी/केयरटेकर का पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित समयावधि में आवश्यक है।

प्रश्न 12 आवास हेतु न्यूनतम /अधिकतम कक्षों/ बेड्स की संख्या कितनी होगी?

उत्तर 12 आवास हेतु न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 06 कक्ष (12 बेड्स) होनी चाहिए। आवास क्षमता का अधिकतम 2/3 भाग उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रश्न 13 क्या इकाई में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा सकता है?

उत्तर 13 नहीं। इकाई में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 14 क्या आवेदन शुल्क पंजीयन नहीं होने की स्थिति में वापस कर दिया जाता है?

उत्तर 14 नहीं। आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाता है।

प्रश्न 15 इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से क्या लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर 15 इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण होने की पश्चात् मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से निम्न वित्तीय एवं विभागीय प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

वित्तीय प्रोत्साहन : (एक बार)

- ब्रोशर प्रिटिंग हेतु रू. 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र)–अनुदान ।
- वेबसाइट निर्माण हेतु रू.10,000/– (दस हजार रूपये मात्र)–अनुदान ।
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% तथा अधिकतम रू.50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) का अनुदान ।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः न्यूनतम 50, 75, 100, अतिथि आवास दिवस होने पर क्रमशः रू. 15,000/– रू. 20,000/– एवं रू. 25,000/– अनुदान ।

विभागीय प्रोत्साहन :

- प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई को अवार्ड दिया जायेगा ।
- वेबसाइट पर फोटोग्राफ के साथ उपस्थित की जाएगी ।
- होमेस्टे का प्रचार –प्रसार भी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।
- पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में निःशुल्क सहभागिता।
- मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधा।

प्रश्न 16 **इकाई धारक को क्या–क्या पंजीयॉं दस्तावेज संधारित करनी होगी?**

उत्तर 16 इकाई धारक को निम्न पंजीयॉं दस्तावेज संधारित करनी होगी

1. अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान का विवरण ।
2. अतिथियों के फीड बेक की पंजी ।
3. अतिथियों को उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं का विवरण एवं दर
4. कमरों की दर एवं नियमावली ।

प्रश्न 17 **क्या पर्यटकों को सुविधाएँ उपलब्ध करवाना आवश्यक है ?**

उत्तर 17 पर्यटक को खान–पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा की वादा किया जाये, उपलब्ध करना आवश्यक है।

प्रश्न 18 **यदि अतिथि द्वारा दोपहर/रात्रि भोजन की मांग की गई, तो प्रक्रिया होगी ?**

उत्तर 18 यदि आप दोपहर/रात्रि भोजन प्रदाय कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने मैन्यु के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लेकर भोजन प्रदाय किया जा सकता है।

प्रश्न 19 **क्या अतिथि को शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन प्रदाय करना आवश्यक है?**

उत्तर 19 नहीं। मैन्यु में भोजन के चयन की स्वतंत्रता गृहस्वामी की रहेगी। यदि गृहस्वामी शाकाहारी है, तो सिर्फ शाकाहारी भोजन प्रदाय कर सकता है। यह सूचना पर्यटक को आगमन के समय अथवा आरक्षण के समय अवगत करना होगा।

प्रश्न 20 **मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड मेरी इकाई का नाम अपनी डायरेक्टरी से किन परिस्थिति में हटा सकता है ?**

उत्तर 20. पंजीयन निम्न आधारों पर निरस्त किया जा सकता है:–

(क) यदि इकाई के स्वामी में परिवर्तन हो गया हो ।

(ख) यदि सम्पत्तिधारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो ।

(ग) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया घोषित हो गया हो ।

(घ) यदि सम्पत्तिधारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो ।

(च) यदि इकाई से पड़ोसी,मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो ।

(ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण ।

ज्ञात रहें :– जिस इकाई का पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो, वह पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका–2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

प्रश्न 21 इकाई के विरुद्ध शिकायत का निराकरण कैसे होगा ?

उत्तर 21 जब कोई सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है, या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएं जैसा कि वह वचन देता है उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि की लिखित शिकायत प्रबंध संचालक, म.प्र.टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा । प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा स्थापना का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्टरी से हटा देगा ।

WHY OPEN UP YOUR HOME ?

MAKE MONEY

MAKE FRIENDS

MAKE MEMORIES

ECONOMIC IMPACT

SOCIAL IMPACT

ENVIRONMENTAL IMPACT

मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019

मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019

विषय – फार्म स्टे से आशय नगरीय निकायों (नगरपालिका, नगर निगम) की सीमा से बाहर स्थित ऐसे आवासीय भवन से होगा जिसमें संपत्तिधारक/केयर टेकर स्वयं निवास करता हो, ऐसे भवन में कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैय्या तक) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो, खानपान सुविधा उपलब्ध हो तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय अनुभव एवं इनडोर–आउटडोर मनोरंजक गतिविधियॉ उपलब्ध हों। ऐसे मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले भवन को फार्म स्टे से संबोधित किया जायेगा, मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत फार्म स्टे जिस भूमि पर स्थित है वह भूमि जिस व्यक्ति के नाम से पंजीकृत, नामांकित अथवा मालिकाना हक की है, उसे संपत्तिधारक से संबोधित किया जायेगा एवं मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत संपत्तिधारक द्वारा फार्म स्टे की देखभाल करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति को केयर टेकर से संबोधित किया जायेगा। जो इकाई में सदैव निवासरत होगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :–

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार नगरीय निकाय की सीमा को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य :–

(अ) देशी–विदेशी पर्यटकों को प्राकृतिक परिवेश में आवास एवं भोजन सुविधा एवं फार्म जीवन अनुभव प्रदाय करना।

(ब) देशी–विदेशी पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान पान, आतिथ्य, कृषि एवं साहसिक पर्यटन का अनुभव प्रदान करना एवं

(स) गैर शहरी क्षेत्र के संपत्तिधारकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय के साथ पर्यटन संवर्धन एवं विकास तथा स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

1.5 योजना संचालन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

2. पंजीयन :–

2.1 सम्पत्तिधारक/केयर टेकर न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैय्या) को पर्यटक रहवास के लिये उपलब्ध करा सकेगा।

2.2 फार्म स्टे का पंजीयन शुल्क रू. 5000/– एवं जीएसटी होगा।
(इकाइयों का पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा)

2.3 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।

2.4 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रू. 5000/– एवं जीएसटी एवं पूर्व संचालन संबंधी जानकारी सहित वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा ।

2.5 जो सम्पत्तिधारक इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हो, उसे मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को प्रारूप 'अ' में विहित पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा । पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/ NEFT अथवा बैंकर्स चौक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नही होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

2.6 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये फार्म स्टे को निम्न शर्तो की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात–

(ज) यह कि फार्म स्टे विशुद्धतः आवासीय इकाई हो इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयर टेकर (देखभाल करने वाला) भौतिक रूप से उसमें निवासरत हो एवं इकाई में किचन का संधारण/संचालन हो।

(झ) यह कि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों की यथा मांग किराये पर दे सकता है जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी जिसमें अधिकतम 12 शैय्या होगी।

(ञ) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, उर्जा आपूर्ति, फर्नीचर, व अन्य सुविधाएं उपयुक्त/आरामदायक होगी । कक्षों में हवा आने–जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।

(ट) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ–सफाई की उत्तम व्यवस्था हो । अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(ठ) संपत्तिधारक/केयर टेकर द्वारा एक ही परिसर/भवन/कॉलोनी में पृथक–पृथक फार्म स्टे का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।

(ड) अन्य कोई शर्ते जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा समय समय पर निर्धारित की जावें।

2.7 उप कंडिका (2.5) में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा ।

2.8 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा । आवेदक ऐसा करने में यदि असफल रहता है तो उसका आवेदन अमान्य किया जायेगा ।

2.9 निरीक्षणकर्ता, ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा । निरीक्षणकर्ता अपनी अनुशंसाएँ देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा । यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। फार्म स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

2.11 फार्म स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति से 45 दिवस में पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा।

2.12 इस योजना के अंतर्गत स्थापित फार्म स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में संधारित की जायेगी ।

3. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रूपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई फार्म स्टे निर्हर होगा

(क) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

(ख) यदि फार्म स्टे का नाम इस योजना की कंडिका –9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो ।

5. सम्पत्तिधारक का दायित्व होगा कि वह

5.1 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी । ऐसी पंजी प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पॉच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा ।

5.2 फार्म स्टे में रूकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में प्रेषित करना होगा ।

5.3 फार्म स्टे में रूकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा।

5.4 फार्म स्टे के समुचित संधारण, उत्तम साफ सफाई, सुरक्षा जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा।

5.5 'फार्म स्टे' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया, खाद्य पदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/आउट का समय तथा फार्म स्टे में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.6 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.7 अतिथियों को ठहरने तथा खान–पान की सुविधा उनकी दरों, फार्म स्टे के खुलने एवं बंद होने आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.8 अतिथि समस्या निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई–मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

6. सम्पतिधारक/केयर टेकर

6.1 सम्पूर्ण फार्म स्टे इकाई सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा।

6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास/खानपान की व्यवस्था के साथ मनोरंजक गतिविधियाँ जैसे इनडोर/आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पुल, किचन गार्डन, लॉन, बगीचा, फलोद्यान आदि अनुभव उपलब्ध करायेगा।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता अथवा अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।

6.4 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा ।

6.5 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा एवं अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय–व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छःमाही आधार पर उक्त व्यवस्था/प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

6.8 सम्पत्तिधारक/केयरटेकर/इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्तियों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्तियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा, अर्थात :–

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/मोहल्ले/कॉलोनी में बाधा (nuisance) उत्पन्न होता हो।

7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।

7.4 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह भवन स्वामी/केयर टेकर को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा।

7.5 आगंतुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ फार्म स्टे में रूकने की अनुमति नहीं देगा।

7.6 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा ।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।

8.4 उक्त फीडबैक/सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।

8.7 जब कोई संपत्तिधारक/केयर टेकर अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएँ

जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसी शिकायत ई–मेल (mdmptb@mp.gov.in) या पोस्ट से भेजी जा सकती है । शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई–मेल आई.डी. होना चाहिये ।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती है। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पतिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या तो शिकायत को निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये फार्म स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण–पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थातः–

(क) यदि संपत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक फार्म स्टे संचालन का अनिच्छुक हो,

(ख) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर को आपराधिक मामले में दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि सम्पत्तिधारक/केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण।

9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने की कार्यवाही अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पतिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से युक्तियुक्त हटाया जाना प्रस्तावित हो। सम्पत्तिधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 जिस इकाई का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका–2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा।

10. देयताएं

10.1 फार्म स्टे जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 फार्म स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा।

10.3 फार्म स्टे को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व फार्म स्टे का होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियां

प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

12. प्रचार–प्रसार

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड / मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार–प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत फार्म स्टे की डायरेक्ट्री समय–समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी।

13. प्रोत्साहन

13.1 फार्म स्टे सम्पतिधारक को फूड तथा रेस्टॉरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ फार्म स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित / भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में फार्म स्टे संपत्तिधारक निःशुल्क भाग ले सकेगा।

13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 10,000 / – अनुदान दिया जाएगा।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000 / – अनुदान दिया जाएगा।

13.6 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो / रोड शो / बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी–II श्रेणी देश में / विदेश भ्रमण हेतु इकोनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपये 50,000 / – का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 फार्म स्टे सम्पतिधारक को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगाः–

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक / अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 15,000 / – अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक / अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 20,000 / – अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक / अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 25,000 / – अनुदान न्यूनतम पर्यटक / अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र –1 में किया जायेगा । आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र–2 अनुसार होगी ।

14. प्रशिक्षण

संभावित फार्म स्टे धारकों/पंजीकृत फार्म स्टे धारकों को संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. फार्म स्टे विकास में निजी क्षेत्र/पंजीकृत स्व–सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका

15.1 प्रदेश में फार्म स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा फार्म स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना

इस योजना को लागू करने, निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन

इस योजना की व्याख्या/ स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

———————×———————

मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 के अंतर्गत पंजीयन का आवेदन पत्र

(कंडिका 2.5)

1 फार्म स्टे इकाई का नाम :..
2 सम्पत्तिधारक का नाम :..
सम्पत्तिधारक का पता :..
(क) ईमेल आई.डी. :..
(ख) मोबाईल नम्बर :..
(ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक :..
3 फार्म स्टे इकाई का पता :..
....
(क) ईमेल आई.डी. :..
(ख) मोबाईल नम्बर :..
(ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक :..
3 केयर टेकर का नाम :..
केयर टेकर का पता :..
(क) ईमेल आई.डी. :..
(ख) मोबाईल नम्बर :..
(ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक :..
4 इकाई का विवरण
(क) इकाई के स्वामित्व अभिलेख का विवरण :..
(निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराए)
(ख) स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा एवं नक्शा :..
(निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराए)
(ग) इकाई के सामने की सड़क की चौड़ाई :..
(घ) इकाई अथवा उसके निकट उपलब्ध पार्किंग की जानकारी :..
(ड.) भू–खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) :..
(च) कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर) :..
(छ) भवन परिसर में कुल कक्षों की संख्या :..
- एक शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार :..
- दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार :..

(ज) इकाई हेतु उपलब्ध कराये जा रहे कक्षों की संख्या :..
- एक शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार :..
- दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार :..
- स्नानागार तथा शौचालय की संख्या व उनका आकार :..

(झ) निम्न सुविधा सहित कॉमन एरिया (वर्गमीटर में) :...

- लॉबी /लाउंज :...
- डाइनिंग :...
- स्विमिंग पुल :...
- इनडोर गेम्स :...
- आउटडोर गेम्स :...
- अतिरिक्त सुविधाएँ(यदि कोई हों) :...
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सुविधाएँ :...
- अग्नि शमन की व्यवस्था का विवरण :..

5 खाने का प्रकार जो उपलब्ध कराया जायेगा :...
(शाकाहारी/मांसाहारी/दोनों प्रकार का)

6 कमरे का प्रस्तावित किराया
(खानापान सामग्री का अतिरिक्त प्रभार)
(क) एक शैय्या कक्ष :..
(ख) दो शैय्या कक्ष :...

9 पंजीयन फीस का विवरण
(क) डिमांड ड्राफ्ट/चैक क्रमांक :..
(ख) दिनांक :..
(ग) बैंक का नाम :..

10 संलग्न आवश्यक दस्तावेज का विवरण

- संपत्तिधारक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि :...
- इकाई में निवासरत परिवार का विवरण :...
- इकाई में उपलब्ध सुविधा की चेक लिस्ट :...
- संपत्ति कर भुगतान रसीद :...
- इकाई के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति :..
- संपत्तिधारक के आधार कार्ड की प्रति :...
- केयर टेकर के आधार कार्ड की प्रति :..
- संपत्तिधारक के पैन कार्ड की प्रति :...
- जी.एस.टी. प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) :...
- मुख्य मार्ग से इकाई के स्थान का पहुँच मार्ग नक्शा :...
- हाउसिंग सोसायटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र :...
- इकाई के फोटोग्राफ्स :...

उपर्युक्त जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य व सही है ।

हस्ताक्षर

संपत्तिधारक का नाम ....

स्व–घोषणा–पत्र

मैं श्री /श्रीमती / सुश्री .... पिता/ पति का नाम श्री ....
आयु.........................निवासी... ...
घोषणा करता हूँ कि :–

मैंने मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2019 के अन्तर्गत अपने भवन के पंजीयन के लिये आवेदन किया है ।

5 जिसमें श्री.................................पिता का नाम श्री...................................आयु.......निवासी......................... क्रमांक.......... को इकाई की देखभाल हेतु केयर टेकर नियुक्त किया गया है।

6 मेरे तथा मेरे परिवार तथा केयर टेकर के विरूद्ध पुलिस में आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है तथा किसी आपराधिक मामले में दंडित नहीं हुआ है ।

7 मेरे द्वारा उपरोक्त योजना का भली–भांति अध्ययन कर लिया है, तथा मैं संपूर्ण शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा ।

हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम ....

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019

पंजीयन प्रमाण पत्र
(कंडिका क्र. 2.10)

पंजीयन क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि फार्म स्टे (इकाई का नाम) .... जिसके स्वामी श्री /श्रीमती /सुश्री .... है । मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत संधारित पंजी के क्रमांक .... पर पंजीकृत है।

यह प्रमाण पत्र दिनांक .... तक वैध है ।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

फार्म स्टे
वसुधैव कुटुम्बकम

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
अतिथियों के आगमन / प्रस्थान की पंजी जो स्थापना स्वामी द्वारा संधारित की जावेगी ।
(कंडिका क्र. 5.1)

फार्म स्टे इकाई का नाम..................................

इकाई का पता..

स. क्र.	अतिथि का नाम	उम्र	स्थायी पता	दूरभाष क्रमांक एवं ई–मेल	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट क्रमांक एवं अन्य पहचान पत्र का विवरण	दिनांक तथा समय		अतिथि कहां से आया	अतिथि कहां के लिए प्रस्थान किया	हस्ताक्षर
							(क) आगमन	(ख) प्रस्थान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट – यदि अतिथि के साथ अन्य व्यक्ति या परिवार है तो उनके ब्यौरे और अतिथि से संबंध का ब्यौरा अतिथि के साथ ही पंजी में दर्ज किया जाये ।

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 के अंतर्गत फार्म स्टे इकाई के स्थापना की स्वीकृति व पंजीयन की चेकलिस्ट

- इकाई का नाम एवं पता...
- सम्पत्तिधारक का नाम...
- मोबाईल क्रमांक...
- ई–मेल आईडी ....
- पंजीयन हेतु पात्रता परीक्षण चेक लिस्ट :–

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक/ वांछनीय है	फार्म स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	2	3	4	5
1	अतिथि कक्ष : स्वतंत्र रूप से किराए पर देने योग्य न्यूनतम एक कक्ष (2बेड) या अधिकतम छः कक्ष (12बेड) की उपलब्धता। (सभी कक्ष स्वच्छ कीट/नमी रहित,हवादार हो।)	आवश्यक		
2	सुव्यवस्थित संधारित मकान और अतिथि कक्ष जिसमें गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ कालीन बिछे हो या टाइल्स या मार्बल फ्लोरिंग तथा फर्नीचर आदि की उपलब्धता ।	आवश्यक		
3	प्रत्येक कक्ष का न्यूनतम आकार (एक बेड 150 वर्गफीट एवं दो बेड 200 वर्गफीट)	आवश्यक		
4	कक्षों में आरामदायक एवं गुणवत्ता की चादरों, गिलाफों से युक्त बेड की उपलब्धता।	आवश्यक		

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक/ वांछनीय है	फार्म स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	2	3	4	5
5	प्रत्येक कक्ष के साथ अटैच्ड स्नानागार एवं प्रसाधन की उपलब्धता ।	आवश्यक		
6	प्रत्येक स्नानागार का न्यूनतम आकार (32 वर्गफीट) ।	आवश्यक		
7	प्रसाधन में पाश्चात्य शैली की बैठक, ढक्कन एवं टॉयलेट पेपर इत्यादि आधुनिक प्रसाधनो की उपलब्धता ।	वांछनीय		
8	गर्म और ठंडे पानी की अबाधित उपलब्धता एवं गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था ।	आवश्यक		
9	धुआॅरहित, आरोग्यशील, कीट रहित एवं स्वच्छ किचिन की व्यवस्था ।	आवश्यक		
10	भोजन ग्रहण करने हेतु स्वतंत्र स्थान की उपलब्धता ।	वांछनीय		
11	उत्तम गुणवत्ता की क्राकरी एवं कटलरी की उपलब्धता।	वांछनीय		
12	कक्षों में एसी/हीटर की उपलब्धता जिससे कमरों का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहे ।	वांछनीय		
13	कक्षों में सीलिंग पंखों की उपलब्धता।	आवश्यक		
14	आयरन (प्रेस) तथा आयरन स्टैण्ड की उपलब्धता ।	वांछनीय		
15	वाई फाई कनेक्शन की उपलब्धता ।	वांछनीय		
16	प्रत्येक कक्ष में इन्टरकाम की उपलब्धता ।	वांछनीय		
17	न्यूनतम चार हेंगर एवं कपड़े रखने हेतु एक अलमारी (वार्डरोब) की उपलब्धता ।	आवश्यक		
18	पीने के लिए आर.ओ / एक्वागार्ड/मिनरलपानी की व्यवस्था ।	आवश्यक		

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक/ वांछनीय है	फार्म स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	2	3	4	5
19	उच्च गुणवत्तायुक्त कुर्सियाँ राइटिंग टेबल और अन्य आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता।	वांछनीय		
20	कक्षों में रेफ्रीजरेटर की उपलब्धता।	वांछनीय		
21	बरामदे एवं लाउन्ज में बैठक व्यवस्था।	आवश्यक		
22	पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं मुख्य मार्ग तक सुगम पहुंच मार्ग की उपलब्धता।	आवश्यक		
23	ऑनलाइन भुगतान तथा मनी ट्रान्सफर की उचित व्यवस्था ।	वांछनीय		
24	अधिकृत स्थान पर चिकित्सा व्यवस्था तथा चिकित्सक इत्यादि के नाम, पते एवं दूरभाष क्रमांक का प्रदर्शन ।	आवश्यक		
25	अतिथियों के छूटे सामान की उचित देखभाल एवं रखरखाव की व्यवस्था ।	आवश्यक		
26	अतिथियों के सामान की सुरक्षा हेतु 'सेफ' की व्यवस्था ।	वांछनीय		
27	दमकल विभाग के नियमानुसार आग से बचाव, अग्निशमन आपातकालीन निकासी (इमरजेंसी एग्जिट) इत्यादि की समुचित व्यवस्था ।	आवश्यक		
28	समुचित संख्या में सुरक्षाकर्मियों की हर समय उपलब्धता ।	आवश्यक		
29	अतिथि-पंजी की उपलब्धता/संधारण।	आवश्यक		

आवेदक के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि प्रकरणों के निराकरण की प्रकिया

मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने तक के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत आवेदन (निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–1) ऑन–लाइन एवं डाक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे ।
2. आवेदन पत्र एवं सहपत्र परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में सहायक संचालक/प्रबंधक फार्म स्टे योजना द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2 दिवस में संयुक्त संचालक (प्रभारी) को प्रस्तुत किये जायेंगे। **(प्रारूप–प्रपत्र–2)**
3. संयुक्त संचालक (प्रभारी) द्वारा प्रकरण व पात्रता का परीक्षण 2 दिवस में कर प्रकरण में त्रुटियों/कमियों को इंगित कर, पात्रता/अपात्रता इंगित कर अथवा पूर्ण पात्र प्रकरण होने पर तदानुसार उल्लेख कर प्रकरण प्रभारी संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
4. संचालक द्वारा संयुक्त संचालक से प्राप्त आवेदन नस्ती को 2 दिवस में प्रकरण पूर्ण/अपूर्ण होने व पात्रता/अपात्रता की जानकारी सहित आगामी कार्यवाही हेतु अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जावेगा। अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे :–
   - अ. आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित प्रकरण में त्रुटिपूर्ति हेतु निर्देश दिए जायेंगे ।
   - ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्ती आदेश दिया जायेगा ।
   - स. उपरोक्त सूचना ई–मेल के माध्यम से आवेदक इकाई को दी जायेगी।
   - दृ प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु 10 दिवस का समय दिया जायेगा । आवेदक की मांग पर यथा आवश्यक समय दिया जा सकेगा । प्रकरण पूर्ण होने पर पुनः अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रकरण पूर्ण होने के 3 दिवस में संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा ।
   - इ. प्रकरण पूर्ण होने व पात्र होने पर प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे ।
5. प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जायेगाः–
   - सहायक संचालक/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी फार्म स्टे योजना मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल।
   - संयुक्त/उप संचालक (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का प्रतिनिधि।
   - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य।
6. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में सुविधाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण योजना में वर्णित चेक लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।
7. उपरोक्त समिति द्वारा संलग्न प्रपत्र–3 संक्षेपिका तैयार कर प्रोत्साहन की राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को किया जाएगा। यह कार्यवाही 10 दिवस में पूर्ण कर ली जायेगी।

8. यदि समिति की अनुशंसा पर अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण की वांछित जानकारी पुनः स्वीकृति हेतु संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी।
9. अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण में स्वीकृत एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया जायेगा। स्वीकृति आदेश संचालक द्वारा (प्रपत्र–4) जारी किया जावेगा।
10. संचालक द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्या–37 आयोजना मुख्य शीर्ष 3452 पर्यटन के अंतर्गत योजना शीर्ष 1271 पर्यटन नीति का क्रियान्वयन अथवा जो भी बजट शीर्ष शासन द्वारा नियत किया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु टूरिज्म बोर्ड के वित्त शाखा को 3 दिवस में भुगतान स्वीकृति आदेश पत्र प्रेषित किया जायेगा।
11. वित्त शाखा द्वारा राशि उपलब्ध होने पर 3 दिवस में प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में ऑन–लाइन किया जायेगा।
12. पात्र प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्ति दिनांक से 45 दिवस में किया जायेगा।
13. किसी भी प्रकरण में प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

उप सचिव
पर्यटन विभाग

मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :—मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति बावत् ।

(1) फार्म स्टे का नाम : ....

(2) पता : ....
....

(3) पंजीयन क्रमांक : .... वैधता तिथि ....

(4) सम्पत्ति धारक का नाम : ....

(5) ई—मेल आई.डी. : ....

(6) मोबाईल नम्बर : ....

(7) केयर टेकर का नाम एवं पता : ....
....
....

(क) ईमेल आई.डी. : ....

(ख) मोबाईल नम्बर : ....

(ग) टेलीफोन क्रमांक : ....

(8) प्रोत्साहन अनुदान : प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष

(8.1) पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की संख्या एवं अवधि : प्रथम वर्ष ...... अवधि ....से..........तक
द्वितीय वर्ष...... अवधि ....से..........तक
तृतीय वर्ष...... अवधि ....से..........तक

(निर्धारित प्रारूप (द) में संधारित पंजी की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।)

(9) ट्रेवलमार्ट में सहभागिता उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु विवरण :—

(9.1) ट्रेवल मार्ट का नाम : ....

(9.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार : राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय

(9.3) स्थान : .... दिनांक ....

(9.4) यात्रा का माध्यम : रेल्वे यात्रा विमान यात्रा

(9.5) पीएनआर नंम्बर/टिकट नं. : ....

(9.6) यात्रा दिनांक : ....

(9.7) यात्रा पर व्यय राशि : ....

(रेल्वे टिकिट / बोर्डिंग पास संलग्न करना अनिवार्य है)

(9.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थापित स्टॉल पर व्यय राशि रू : ....

(9.9) स्थापित स्टॉल निर्माण का देयक क्रमांक, दिनांक एवं राशि

(देयक संलग्न करना अनिवार्य है) : ....

(10) प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु राशि प्राप्ति हेतु विवरण –

(10.1) प्रचार प्रसार सामग्री प्रकार : वेबसाईट ब्रोशर

(प्रचार प्रसार सामग्री संलग्न करना अनिवार्य है)

(10.2)प्रचार–प्रसार सामग्री पर व्यय राशि रू. : ....

(10.3) देयक क्रमांक एवं दिनांक :.................................

' (कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)

अतः अनुरोध है कि मुझे फार्म स्टे (स्थापना तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अंतर्गत बैंक का नाम .... खाता क्रमांक......................................आईएफएससी कोड .... में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री.. फार्म स्टे का नाम .... स्थान .... जिला................ पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वंय उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी । उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

मोबाइल नम्बर ....

ई–मेल आईडी ....

फार्म स्टे योजना
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. फार्म स्टे योजना क्या है ?

उत्तर 1. इस योजना में शहरों से लगे क्षेत्रों में संपत्तिधारकों द्वारा विकसित किए गए फार्म हाउस जिसमें नेचर कैंपिंग, बागवानी, कृषिकी, पशुपालन, खुला परिसर, लघु सभा कक्ष, रसोई आदि सुविधाएं उपलब्ध है को फार्म स्टे योजना अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।

प्रश्न 2. मेरे घर के पंजीयन हेतु क्या मापदंड होना चाहिए ?

उत्तर 2. आपके घर में आपकी इकाई के हिस्से के आलावा कम से कम एक एवं अधिक से अधिक छः अतिरिक्त कक्ष होने चहिये और सभी कक्ष पूर्ण रूप से सुसज्जित होना अवाश्यक तथा सभी कक्ष से शौचालय जुड़े होने चाहिए। अन्य विस्तृत मापदण्डो का विवरण वेबसाइट/योजना दस्तावेज पर उपलब्ध है।

प्रश्न 3. पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर 3. इस हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल द्वारा बेहद सरल एवं आसान चरणों में आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क देकर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 4. पंजीयन शुल्क कितना है ? कब और कैसे जमा करना होगा ?

उत्तर 4. इस योजना में पंजीयन के लिए शुल्क रू. 5000/– एवं जीएसटी आवेदन शुल्क को ऑनलाईन आवेदन के साथ म.प्र.टूरिज्म बोर्ड के खाते में जमा कराया जा सकता है।

प्रश्न 5. पंजीकरण की अवधि कितने समय की है एवं नवीनिकरण की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर 5. पंजीकरण पंजीयन दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा एवं तीन वर्ष के पश्चात रूपये 5000/–. जी. एस.टी. शुल्क अंतिम तिथि के 3 माह पूर्व ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल के माध्यम से जमा करके नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रश्न 6. क्या यह योजना सिर्फ शहरों में ही लागू है ?

उत्तर 6. यह योजना नगरीय निकाय की सीमा के बाहर शहरों से लगे हुई संपत्ति में लागू होगी।

प्रश्न 7. यदि मेरा घर इंदौर में है जो किराये पर दिया हुआ है और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो क्या इस योजना के लिए आवेदन दे सकता है ?

उत्तर 7. हाँ। इस योजना के अंतर्गत गृहस्वामी एक केयरटेकर (देखभाल करने वाला) नियुक्त कर सकता है जो भौतिक रूप से उसमें सतत् निवासरत हों।

प्रश्न 8. क्या केयर टेकर द्वारा इकाई का संचालन किया जा सकता है ?

उत्तर 8. हाँ। केयर टेकर द्वारा इकाई का संचालन किया जा सकता है ।

प्रश्न 9. कक्षों का किराया किसके द्वारा निर्धारित किया जायेगा ?

उत्तर 9. किराये को निर्धारित करने का अधिकार गृहस्वामी का होगा ।

प्रश्न 10. क्या गृहस्वामी का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है ?

उत्तर 10. हाँ । पंजीयन पश्चात गृहस्वामी का पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित समयावधि में आवश्यक है ।

प्रश्न 11. आवास हेतु न्यूनतम /अधिकतम कक्षों / बेड्स की संख्या कितनी होगी?

उत्तर 11. आवास हेतु न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 06 कक्ष (12 बेड्स) होनी चाहिए।

प्रश्न 12. क्या इकाई में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा सकता है?

उत्तर 12. नहीं। इकाई में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 13. क्या आवेदन शुल्क पंजीयन नहीं होने की स्थिति में वापस कर दिया जाता है?

उत्तर 13. नहीं । आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाता है।

प्रश्न 14. इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से क्या लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर 14. इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण होने की पश्चात् मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से निम्न वित्तीय एवं विभागीय प्रोत्साहन प्राप्त होंगे :–

वित्तीय प्रोत्साहन : (एक बार)

ब्रोशर प्रिटिंग हेतु रू. 10,000/– (दस हजार रूपये) अनुदान ।

वेबसाइट निर्माण हेतु रू. 10,000/– (दस हजार रूपये) अनुदान ।

राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% तथा अधिकतम रू. 50,000/– (पचास हजार रूपये) का अनुदान ।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः न्यूनतम 50, 75, 100, अतिथि आवास दिवस होने पर क्रमशः रू. 15,000/– रू. 20,000/– एवं रू. 25,000/– अनुदान ।

विभागीय प्रोत्साहन :

प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ फार्म स्टे इकाई को अवार्ड दिया जायेगा ।

वेबसाइट पर फोटोग्राफ के साथ उपस्थिति की जाएगी ।

फार्म स्टे का प्रचार–प्रसार भी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।

पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में निःशुल्क सहभागिता।

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधा।

प्रश्न 15. इकाई धारक को क्या–क्या पंजीयॉ/दस्तावेज संधारित करनी होगी ?

उत्तर 15. इकाई धारक को निम्न पंजीयॉ/दस्तावेज संधारित करनी होगी :–

1. अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान का विवरण ।
2. अतिथियों के फीड बेक की पंजी ।
3. अतिथियों को उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं का विवरण एवं दर ।
4. कमरों की दर एवं नियमावली ।

प्रश्न 16. क्या पर्यटकों को सुविधाएँ उपलब्ध करवाना आवश्यक है ?

उत्तर 16. पर्यटक को खान, पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा की वादा किया जाये उपलब्ध करना आवश्यक है ।

प्रश्न 17. यदि अतिथि द्वारा दोपहर/ रात्रि भोजन की मांग की गई, तो प्रक्रिया होगी ?

उत्तर 17. यदि आप दोपहर/ रात्रि भोजन प्रदाय कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने मैन्यु के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लेकर भोजन प्रदाय किया जा सकता है।

प्रश्न 18. क्या अतिथि को शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन प्रदाय करना आवश्यक है?

उत्तर 18. नहीं । मैन्यु में भोजन के चयन की स्वतंत्रता गृहस्वामी की रहेगी । यदि गृहस्वामी शाकाहारी है, तो सिर्फ शाकाहारी भोजन प्रदाय कर सकता है। यह सुचना पर्यटक को आगमन के समय अथवा आरक्षण के समय अवगत करना बेहतर होगा।

प्रश्न 19. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड मेरी इकाई का नाम अपनी डायरेक्टरी से किन परिस्थिति में हटा सकता है ?

उत्तर 19. पंजीयन प्रमाण पत्र निम्न आधार पर निरस्त कर सकेगा :–

(क) यदि इकाई के स्वामी में परिवर्तन हो गया हो,

(ख) यदि सम्पत्तिधारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया घोषित हो गया हो,

(घ) यदि सम्पत्तिधारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,

(च) यदि इकाई से पड़ोसी,मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो,

(ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण,

ज्ञात रहें:– जिस इकाई का पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो, वह पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका–2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

प्रश्न 20. इकाई के विरुद्ध शिकायत का निराकरण कैसे होगा ?

उत्तर 20. जब कोई सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएँ जैसा कि वह वचन देता है उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि की लिखित शिकायत प्रबंध संचालक को प्रस्तुत कर सकेगा । प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा स्थापना का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्टरी से हटा देगी ।

मध्य प्रदेश पर्यटन
ग्राम स्टे
वसुधैव कुटुम्बकम

WHY OPEN UP YOUR HOME ?

MAKE MONEY | MAKE FRIENDS | MAKE MEMORIES

ECONOMIC IMPACT | SOCIAL IMPACT | ENVIRONMENTAL IMPACT

मध्य प्रदेश पर्यटन
ग्राम स्टे
वसुधैव कुटुम्बकम

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019

विषय– ग्राम स्टे से आशय ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन है, जिसमें गृहस्वामी स्वयं निवास करता हो अथवा पर्यटक आवास के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व–सहायता समूह द्वारा निर्मित किया गया हो तथा ऐसे आवास में न्यूनतम 1 व अधिकतम 6 कक्ष (12 शैय्या) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो एवं खान–पान सुविधा उपलब्ध हो, गृह स्वामी से भिन्न पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व–सहायता समूह द्वारा निर्मित ग्राम स्टे में संबंधितों द्वारा नियमित व्यवस्थापक रखा जाना जरूरी होगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :–

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 कहलायेगी।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण ग्रामीण मध्यप्रदेश होगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य

(अ) देशी–विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन अनुभव प्रदाय करना,

(ब) देशी/विदेशी पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान पान एवं आतिथ्य से परिचित कराना,

(स) ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास सुविधाऐं विकसित करना,

(द) ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने एवं अतिरिक्त आय अर्जन हेतु प्रोत्साहित करना एवं

(इ) पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व–सहायता समूहों को ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना है।

1.5 इस योजना हेतु संपत्तिधारक से आशय आवासीय भवन के स्वामी अथवा पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व–सहायता समूह से है, जिसके द्वारा पर्यटक आवास निर्मित किये गये हों, से है।

2. पंजीयन :–

2.1 सम्पत्तिधारक के आवासीय भवन के कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 01 तथा अधिकतम संख्या 06 (12 शैय्या) हो, को पर्यटक/अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे।

2.2 ग्राम स्टे इकाई का पंजीयन हेतु शुल्क रू. 1000/– एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाइयों का पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

2.4 पंजीयन तीन (3) साल तक वैध रहेगा।

2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/–. जी.एस.टी. शुल्क, निर्धारित दस्तावेज एवं गत वर्षों की पर्यटक पंजी की प्रतिलिपि के साथ आवेदन वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना

होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट (परिशिष्ट–1) अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी।

2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'ग्राम स्टे' को निम्न शर्तो की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात्

(ढ) यह कि 'ग्राम स्टे' विशुद्धतः आवासीय भवन हो। भवन स्वामी भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो एवं किचन का संचालन किया जाता हो/संपत्तिधारक द्वारा आवासीय भवन एवं किचन के संचालन/संधारण की उपयुक्त व्यवस्था की गई हो ।

(ण) यह कि सम्पत्तिधारक उसके आवासीय भवन के ऐसे आवासीय भाग को ही किराये पर दे सकेगा जिसमें शयन कक्षों की संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, (अधिकतम 12 शैय्या होगी)।

(त) यह कि 'ग्राम स्टे' में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाऍं उपलब्ध होगी। कक्षों में हवा आने–जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो। प्रत्येक कक्ष का बाथरूम सहित क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्गफीट होगा।

(थ) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो। परिसर में साफ–सफाई की नियमित व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा एवं पर्यटक सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(द) अन्य कोई शर्ते जो राज्य सरकार या 'बोर्ड' द्वारा निर्धारित की जावें।

2.8 उप कंडिका (2.6) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।

2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य किया जायेगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता, नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाए देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन आदि सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा।

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये । ग्राम स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

2.12 ग्राम स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित ग्राम स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में बोर्ड में संधारित की जायेगी ।

3. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण :–

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य, द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश

टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रूपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'ग्राम स्टे' निर्हर होगी :—

4.1 यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

4.2 यदि ग्राम स्टे का नाम इस योजना की कंडिका—9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. सम्पत्तिधारक/व्यवस्थापक का दायित्व होगा कि वहः—

5.1 पर्यटक/अतिथियों को निर्धारित सुविधा युक्त आवास एवं भोजन उपलब्ध करायेगा।

5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करना होगा, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे दो वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

5.3 ग्राम स्टे में रूकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में प्रेषित करना होगा ।

5.4 ग्राम स्टे में रूकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा।

5.5 ग्राम स्टे के समुचित संधारण, उत्तम साफ—सफाई, सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा ।

5.6 'ग्राम स्टे' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया, खाद्यपदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/चेक आउट का समय तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.8 अतिथियों को आवास तथा खान—पान की दरों, चेक इन/चेक आउट की जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी।

5.9 अतिथि समस्या निराकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक की जानकारी संपत्तिधारक द्वारा, चाहे जाने पर अतिथि को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. सम्पतिधारक :—

6.1 सम्पूर्ण ग्राम स्टे भवन सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा।

6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास एवं खान—पान की व्यवस्था के साथ ग्रामीण पर्यटन अनुभव संबंधित गतिविधियाँ जैसे बैलगाड़ी की सवारी, पशुपालन, स्थानीय पेड़—पौधों का परिचय, वानिकी, कृषि कार्य, कृषि उपकरणों का निर्माण, माटीकला, स्थानीय उपज से तैयार वस्तु/पदार्थ का प्रदर्शन तथा ग्रामीण परिवेश से संबंधित नृत्य, संगीत, खान—पान आदि पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष उत्पन्न करे अथवा जिससे अतिथियों को असुविधा हो।

6.4 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।

6.5 अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय—व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना

सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था/प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

6.8 संपत्तिधारक/केयरटेकर/इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण/वेरिफिकेशन करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्तियों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्तियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्व :–

7.1 अतिथि स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी मे उसकी प्रविष्टि करेगा।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो स्थानीय ग्राम– वासियों में असंतोष उत्पन्न करे।

7.3 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह ग्राम स्टे स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा।

7.4 आगन्तुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ ग्राम स्टे में रूकने की अनुमति नहीं देगा।

7.5 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा।

8. अतिथियों के सुझाव/फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण :–

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये।

8.4 उक्त फीडबैक/सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी। सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।

8.7 जब कोई ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएँ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत ई–मेल (mdmptb@mp.gov.in) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई–मेल आई.डी. होना चाहिये।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती है। उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा ग्राम स्टे सम्पतिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन, को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :—

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण—पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थातः—

(क) यदि ग्राम स्टे संपत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक ग्राम स्टे संचालन हेतु अनिच्छुक हो ।

(ख) यदि ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण ।

9.2 उप कंडिका (1) में की गयी कार्यवाही से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने की कार्यवाही अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9.3 ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक ग्राम स्टे सम्पतिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो । ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक, मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे ।

9.4 जिस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका—2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

10. देयताएं :—

10.1 ग्राम स्टे सम्पतिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 ग्राम स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा।

10.3 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियाँ :—

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत ग्राम स्टे का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

12. प्रचार–प्रसारः–

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड / मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत ग्राम स्टे का प्रचार–प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत ग्राम स्टे की डायरेक्ट्री समय–समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी ।

13. प्रोत्साहन :–

13.1 ग्राम स्टे सम्पतिधारक को फूड तथा रेस्टॉरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ ग्राम स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित / भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में ग्राम स्टे संपत्तिधारक निःशुल्क भाग ले सकेगा।

13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 10,000 / – अनुदान दिया जाएगा।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 10,000 / – अनुदान दिया जाएगा।

13.6 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो / रोड शो / बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी–II श्रेणी देश में / विदेश भ्रमण हेतु इकनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 50,000 / – का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 ग्राम स्टे को प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा :–

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक / अतिथि आवास दिवस होने पर रू. 15,000 / – अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक / अतिथि आवास दिवस होने पर रू. 20,000 / – अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक / अतिथि आवास दिवस होने पर रू. 25,000 / – अनुदान

न्यूनतम पर्यटक / अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र –1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र–2 अनुसार होगी।

14. प्रशिक्षण :–

संभावित ग्राम स्टे धारकों / पंजीकृत ग्राम स्टे धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग / आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. ग्राम स्टे विकास में निजी क्षेत्र / पंजीकृत स्व–सहायता समूह / पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका :–

15.1 प्रदेश में ग्राम स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं / सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/ सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी।

16. योजना को लागू करना :–

इस योजना को लागू करने, निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :–

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

प्ररूप – अ

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 के अंतर्गत पंजीयन का आवेदन पत्र

(कंडिका 2.6)

1 ग्राम स्टे इकाई का नाम : ....

2 सम्पत्तिधारक का नाम : ....

3 ग्राम स्टे इकाई का पता : ....

....

(क) ईमेल आई.डी. (यदि हो) : ....

(ख) मोबाईल नम्बर : ....

(ग) निवास का टेलीफोन क्रमांक (यदि हो) : ....

(घ) डाक का पूरा पता : ....

....

(घ) पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति / पंजीकृत स्व–सहायता समूह की दशा में पंजीयन क्रमांक, दिनांक : ....

(ङ) पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति / पंजीकृत स्व–सहायता समूह की दशा में पंजीकरण जारी करने वाली संस्था का नाम : ....

(च) नजदीकी बस स्टेण्ड (दूरी कि.मी.) : ....

(छ) नजदीकी रेलवे स्टेशन (दूरी कि.मी.) : ....

4 इकाई का विवरण

(क) आवास के स्वामित्व अभिलेख का विवरण : ....

(निरीक्षण के दौरान अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराए)

(ख) भू–खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) : ....

(ग) निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर) : ....

(घ) आवास में कुल कक्षों की संख्या : ....

(ङ) अतिथि / पर्यटक आवास हेतु उपलब्ध कराये जा रहे कक्षों की संख्या : ....

- एक शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : ....
- दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार : ....
- स्नानागार तथा शौचालय की संख्या व उनका आकार : ....
- आवास में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का ब्यौरा : ....

5 खाने का प्रकार जो उपलब्ध कराया जायेगा : ....
(शाकाहारी / मांसाहारी / दोनों प्रकार का)

6 कमरे का प्रस्तावित किराया
(खानापान सामग्री का अतिरिक्त प्रभार)
(क) एक शैय्या कक्ष : ....
(ख) दो शैय्या कक्ष : ....

7 पंजीयन फीस का विवरण
(क) डिमांड ड्राफ्ट / चैक क्रमांक : ....
(ख) दिनांक : ....
(ग) बैंक का नाम : ....

8 इकाई के निकट में स्थित पर्यटन स्थल : ....
(20 कि.मी. की परिधि में)

9 इकाई परिसर में उपलब्ध कराई जा रही पर्यटन / साहसिक / मनोरंजन गतिविधियॉं

10 संलग्न आवश्यक दस्तावेज का विवरण
- संपत्तिधारक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि : ....
- इकाई में निवासरत परिवार का विवरण : ....
- पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति / पंजीकृत स्व–सहायता समूह द्वारा निर्मित पर्यटक आवास ग्राम स्टे के व्यवस्थापक का पूर्ण ब्यौरा : ....
- इकाई में उपलब्ध सुविधा की सूची : ....
- आवास के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति : ....
- संपत्तिधारक के आधार कार्ड की प्रति : ....
- पैन कार्ड की प्रति : ....
- मुख्य मार्ग से इकाई के स्थान का पहुँच मार्ग नक्शा : ....
- आवास के फोटोग्राफ्स : ....

उपर्युक्त जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य व सही है ।

हस्ताक्षर

संपत्तिधारक का नाम ....

स्व–घोषणा–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री .... पिता/ पति का नाम श्री .... आयु .... निवासी .... घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैंने मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 के अन्तर्गत अपने भवन के पंजीयन के लिये आवेदन किया है ।
2. मेरे तथा मेरे परिवार के विरूद्ध पुलिस में आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है तथा किसी आपराधिक मामले में मैं दंडित नहीं हुआ हूँ ।
3. मैंने उपरोक्त योजना का भली–भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा ।

हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम ....

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019

पंजीयन प्रमाण पत्र
(कंडिका क्र. 2.11)

पंजीयन क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवास का नाम .... पता .... जिसके स्वामी/संपत्तिधारक श्री/श्रीमती / सुश्री .... है । मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत संधारित पंजी के क्रमांक .... पर पंजीकृत है ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक .... तक वैध है ।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
अतिथियों के आगमन/प्रस्थान की पंजी जो भवन स्वामी/संपत्तिधारक द्वारा संधारित की जावेगी ।

(कंडिका क्र. 5.2)

ग्राम स्टे इकाई का नाम..................................

इकाई का पता..

स. क्र.	अतिथि का नाम	उम्र	स्थायी पता	दूरभाष क्रमांक एवं ई–मेल	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट क्रमांक एवं अन्य पहचान पत्र का विवरण	दिनांक तथा समय		अतिथि कहां से आया	अतिथि कहां के लिए प्रस्थान किया	हस्ताक्षर
							(क) आगमन	(ख) प्रस्थान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट :– यदि अतिथि के साथ अन्य व्यक्ति या परिवार है तो उनके ब्यौरे और अतिथि से संबंध का ब्यौरा अतिथि के साथ ही पंजी में दर्ज किया जाये ।

परिशिष्ट – 1

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019

के अंतर्गत ग्राम स्टे इकाई के स्थापना की स्वीकृति व पंजीयन की चेक लिस्ट

- इकाई का नाम एवं डाक का पूरा पता...
- सम्पत्तिधारक का नाम..
- मोबाईल क्रमांक..
- ई–मेल आईडी (यदि हो) ....
- पंजीयन हेतु पात्रता परीक्षण चेक लिस्ट :–

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक/ वांछनीय है	ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	2	3	4	5
1	अतिथि कक्ष : स्वतंत्र रूप से किराए पर देने योग्य न्यूनतम एक कक्ष (2बेड) या अधिकतम 6 कक्ष (12 बेड) की उपलब्धता। (सभी कक्ष स्वच्छ, कीट/नमी रहित, हवादार हो।)	आवश्यक		
2	सुव्यवस्थित संधारित मकान ।	आवश्यक		
3	कक्षों में आरामदायक बेड की उपलब्धता।	आवश्यक		
4	योग्य संख्या में प्रसाधन की उपलब्धता।(कक्षों के तारतम्य में)	आवश्यक		
5	गर्म और ठंडे पानी की यथा मांग उपलब्धता एवं गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था ।	आवश्यक		
6	धुऑ रहित, आरोग्यशील, कीट रहित एवं स्वच्छ किचिन की व्यवस्था ।	आवश्यक		

स. क्र.	सुविधाएं	सुविधा आवश्यक/ वांछनीय है	ग्राम स्टे सम्पतिधारक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा (हां/नहीं)	निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप
1	2	3	4	5
7	भोजन ग्रहण करने हेतु स्वतंत्र स्थान की उपलब्धता ।	वांछनीय		
8	कक्षों में सीलिंग पंखों की उपलब्धता ।	आवश्यक		
9	कपड़े रखने हेतु एक अलमारी (वार्डरोब) की उपलब्धता ।	वांछनीय		
10	पीने योग्य स्वच्छ पानी की व्यवस्था ।	आवश्यक		
11	मुख्य मार्ग तक सुगम पहुंच मार्ग की उपलब्धता/व्यवस्था ।	वांछनीय		
12	स्थानीय निकायों के नियमानुसार कचरा निपटान व्यवस्था ।	वांछनीय		
13	अधिकृत स्थान पर चिकित्सा व्यवस्था तथा चिकित्सक इत्यादि के नाम, पते एवं दूरभाष क्रमांक का प्रदर्शन ।	वांछनीय		
14	अतिथि-पंजी की उपलब्धता/संधारण।	आवश्यक		

आवेदक के हस्ताक्षर

- **निरीक्षणकर्ता अधिकारी का अभिमत :–**

आज दिनांक .... को आवेदक इकाई का आवेदन दिनांक .... के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण किया गया । आवेदक इकाई मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 की कंडिका (2) के अनुसार .... पंजीयन हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त पाई गई । अतः ग्राम स्टे योजना अंतर्गत .... इकाई को पंजीयन करने/पंजीयन नहीं करने की अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का
नाम ....
पदनाम ....
(मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड)
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि प्रकरणों के निराकरण की प्रकिया

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने तक के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत आवेदन (निर्धारित प्रारूप प्रपत्र–1) ऑन–लाइन एवं डाक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे ।
2. आवेदन पत्र एवं सहपत्र परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में सहायक संचालक/प्रबंधक ग्राम स्टे योजना द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2 दिवस में प्रभारी संयुक्त संचालक को प्रस्तुत किये जायेंगे। (प्रारूप–प्रपत्र–2)
3. प्रभारी संयुक्त संचालक द्वारा प्रकरण व पात्रता का परीक्षण 2 दिवस में कर प्रकरण में त्रुटियों/कमियों को इंगित कर, पात्रता/अपात्रता इंगित कर अथवा पूर्ण पात्र प्रकरण होने पर तदानुसार उल्लेख कर प्रकरण प्रभारी संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. संचालक द्वारा संयुक्त संचालक से प्राप्त आवेदन नस्ती को 2 दिवस में प्रकरण पूर्ण/अपूर्ण होने व पात्रता/अपात्रता की जानकारी सहित आगामी कार्यवाही हेतु अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जावेगा। अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे :–
   - अ. आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित प्रकरण में त्रुटिपूर्ति हेतु निर्देश दिए जायेंगे ।
   - ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्ती आदेश दिया जायेगा ।
   - स. उपरोक्त सूचना ई–मेल के माध्यम से आवेदक इकाई को दी जायेगी।
   - दृ प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु 10 दिवस का समय दिया जायेगा । आवेदक की मांग पर यथा आवश्यक समय दिया जा सकेगा । प्रकरण पूर्ण होने पर पुनः अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रकरण पूर्ण होने के 3 दिवस में संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा ।
   - इ. प्रकरण पूर्ण होने व पात्र होने पर प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे ।
5. प्रकरण का सत्यापन एवं निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जायेगा :–
   - सहायक संचालक/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी ग्राम स्टे योजना मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल।
   - संयुक्त/उप संचालक वित्त एवं लेखा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का प्रतिनिधि।
   - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य ।
6. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में सुविधाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण योजना में वर्णित चेक लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।
7. उपरोक्त समिति द्वारा संलग्न प्रपत्र–3 संक्षेपिका तैयार कर प्रोत्साहन की राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को किया जायेगा। यह कार्यवाही 10 दिवस में पूर्ण कर ली जायेगी।
8. यदि समिति की अनुशंसा पर अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण की वांछित जानकारी पुनः स्वीकृति हेतु संयुक्त संचालक/संचालक के माध्यम से अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी।

9. अपर प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक द्वारा 3 दिवस में समिति की अनुशंसा पर प्रकरण में स्वीकृत एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया जायेगा। स्वीकृति आदेश संचालक द्वारा (प्रपत्र–4) में जारी किया जावेगा।

10. संचालक द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्या–37 आयोजना मुख्य शीर्ष 3452 पर्यटन के अंतर्गत योजना शीर्ष 1271 पर्यटन नीति का क्रियान्वयन अथवा जो भी बजट शीर्ष शासन द्वारा नियत किया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु टूरिज्म बोर्ड के वित्त शाखा को 3 दिवस में भुगतान स्वीकृति आदेश पत्र प्रेषित किया जायेगा।

11. वित्त शाखा द्वारा राशि उपलब्ध होने पर 3 दिवस में प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में ऑन–लाइन किया जायेगा।

12. पात्र प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्ति दिनांक से 45 दिवस में किया जायेगा।

13. किसी भी प्रकरण में प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

उप सचिव
पर्यटन विभाग

प्रपत्र – 1

मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)

विषय :– मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति बावत।

1) ग्राम स्टे का नाम : ....

(2) पता : ....

....

(3) पंजीयन क्रमांक : .... वैधता तिथि ....

(4) सम्पत्ति धारक का नाम : ....

(5) ई–मेल आई.डी. : ....

(6) मोबाईल नम्बर : ....

(7) केयर टेकर का नाम एवं पता : ....

....

(क) ईमेल आई.डी. : ....

(ख) मोबाईल नम्बर : ....

(ग) टेलीफोन क्रमांक : ....

(8) प्रोत्साहन अनुदान : प्रथम वर्ष ☐ द्वितीय वर्ष ☐ तृतीय वर्ष ☐

(8.1) पर्यटक / अतिथि आवास दिवस की संख्या एवं अवधि : प्रथम वर्ष......... अवधि ....से..........तक

द्वितीय वर्ष....... अवधि ....से..........तक

तृतीय वर्ष....... अवधि ....से..........तक

(निर्धारित प्रारूप (द) में संधारित पंजी की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।)

(9) ट्रेवलमार्ट में सहभागिता उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु विवरण :–

(9.1) ट्रेवल मार्ट का नाम : ....

(9.2) ट्रेवल मार्ट का प्रकार : राष्ट्रीय ☐ अन्तर्राष्ट्रीय ☐

(9.3) स्थान : .... दिनांक ....

(9.4) यात्रा का माध्यम : रेल यात्रा / विमान यात्रा

(9.5) पीएनआर नंम्बर / टिकट नं. : ....

(9.6) यात्रा दिनांक : ....

(9.7) यात्रा पर व्यय राशि : ....

(रेल्वे टिकिट / बोर्डिंग पास संलग्न करना अनिवार्य है)

(9.8) ट्रेवल मार्ट पर स्थापित स्टॉल पर व्यय राशि रू : ....

(9.9) स्थापित स्टॉल निर्माण का देयक क्रमांक, दिनांक एवं राशि (देयक संलग्न करना अनिवार्य है) : ....

(10) प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु राशि प्राप्ति हेतु विवरण –

(10.1) प्रचार प्रसार सामग्री प्रकार : वेबसाईट ☐ ब्रोशर ☐

(प्रचार प्रसार सामग्री संलग्न करना अनिवार्य है)

(10.2)प्रचार–प्रसार सामग्री पर व्यय राशि रू. : ....

(10.3) देयक क्रमांक एवं दिनांक :..................................

' (कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)

अतः अनुरोध है कि मुझे ग्राम स्टे (स्थापना तथा नियमन) योजना 2019 की कंडिका 13 के अंतर्गत बैंक का नाम... .... खाता क्रमांक..आईएफएससी कोड .... में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व–सहायता समूह .... ग्राम स्टे का नाम .... स्थान............................... जिला................. पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वंय उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी । उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम ....
मोबाइल नम्बर ....
ई–मेल आईडी ....

ग्राम स्टे योजना
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. ग्राम स्टे योजना क्या है ?

उत्तर 1. इस योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटक आवासों को पंजीकृत कराया जाकर उन्हें ग्रामीण संस्कृति, परिवेश, खान–पान, आदि का अनुभव प्रदान किया जा सकता है।

प्रश्न 2. मेरे घर के पंजीयन हेतु क्या मापदंड होना चाहिए ?

उत्तर 2. आपके घर में आपके रहने वाले हिस्से के आलावा कम से कम एक एवं अधिक से अधिक छः अतिरिक्त कक्ष होने चहिये और सभी कक्ष पूर्ण रूप से सुसज्जित होना अवाश्यक तथा सभी कक्ष से शौचालय जुड़े होने चाहिए। अन्य विस्तृत मापदण्डो का विवरण वेबसाइट / योजना दस्तावेज पर उपलब्ध है ।

प्रश्न 3. पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर 3. इस हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल द्वारा बेहद सरल एवं आसान चरणों में आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क देकर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 4. पंजीयन शुल्क कितना है ? कब और कैसे जमा करना होगा ?

उत्तर 4. इस योजना में पंजीकृत के लिए पंजीयन हेतु शुल्क रू. 1000/– एवं जीएसटी आवेदन शुल्क को ऑनलाईन आवेदन के साथ म.प्र.टूरिज्म बोर्ड के खाते में जमा कराया जा सकता है ।

प्रश्न 5. पंजीकरण की अवधि कितने समय की है एवं नवीनिकरण की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर 5. पंजीकरण पंजीयन दिनाकं से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा एवं तीन वर्ष के पश्चात रूपये 1000/–. जी. एस.टी. शुल्क अंतिम तिथि के 3 माह पूर्व ऑनलाईन एप्लीकेशन पॉर्टल के माध्यम से जमा करके नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रश्न 6. क्या यह योजना सिर्फ शहरों में ही लागू है ?

उत्तर 6. यह योजना ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित संपत्ति में ही लागू होगी।

प्रश्न 7. यदि मेरा घर महू के गाँव में है जो किराये पर दिया हुआ है और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो क्या इस योजना के लिए आवेदन दे सकता है ?

उत्तर 7. नहीं। इस योजना के अंतर्गत गृहस्वामी को अपने परिवार के साथ आवास में रहना अनिवार्य है।

प्रश्न 8. कक्षों का किराया किसके द्वारा निर्धारित किया जायेगा ?

उत्तर 8. किराये को निर्धारित करने का अधिकार गृहस्वामी का होगा ।

प्रश्न 9. आवास हेतु न्यूनतम/अधिकतम कक्षों/बेड्स की संख्या कितनी होगी?

उत्तर 9. आवास हेतु न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 06 कक्ष (12 बेड्स) होनी चाहिए।

प्रश्न 10. क्या इकाई में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा सकता है?

उत्तर 10. नहीं। इकाई में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता है

प्रश्न 11. क्या आवेदन शुल्क पंजीयन नहीं होने की स्थिति में वापस कर दिया जाता है?

उत्तर 11. नहीं । आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाता है।

प्रश्न 12. इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से क्या लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर 12. इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण होने की पश्चात् मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से निम्न वित्तीय एवं विभागीय प्रोत्साहन प्राप्त होंगे :-

वित्तीय प्रोत्साहन रू (एक बार)

ब्रोशर प्रिटिंग हेतु रू.10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) अनुदान ।

वेबसाइट निर्माण हेतु रू. 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) अनुदान ।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% तथा अधिकतम रू.50,000/-(पचास हजार रूपये मात्र) का अनुदान ।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः न्यूनतम 50, 75, 100, अतिथि आवास दिवस होने पर क्रमशः रू. 15,000/- रू. 20,000/- एवं रू. 25,000/- अनुदान ।

विभागीय प्रोत्साहन :

- प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ ग्राम स्टे इकाई को अवार्ड दिया जायेगा ।
- वेबसाइट पर फोटोग्राफ के साथ इकाई की जानकारी अंकित की जावेगी।
- होम स्टे का प्रचार-प्रसार भी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।
- पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में निःशुल्क सहभागिता।
- मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधा।

प्रश्न 13. इकाई धारक को क्या-क्या पंजीयॉ दस्तावेज संधारित करनी होगी ?

उत्तर 13. इकाई धारक को निम्न पंजीयॉ दस्तावेज संधारित करनी होगी -

1. अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान का विवरण ।
2. अतिथियों के फीड बेक की पंजी ।
3. अतिथियों को उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं का विवरण एवं दर ।
4. कमरों की दर एवं नियमावली ।

प्रश्न 14. क्या पर्यटकों को सुविधाएँ उपलब्ध करवाना आवश्यक है ?

उत्तर 14. पर्यटक को खान-पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा की वादा किया जाये उपलब्ध करना आवश्यक है ।

प्रश्न 15. यदि अतिथि द्वारा दोपहर/रात्रि भोजन की मांग की गई, तो प्रक्रिया होगी ?

उत्तर15. यदि आप दोपहर/रात्रि भोजन प्रदाय कर सकते हैं तो इसके लिए अपने मैन्यु के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लेकर भोजन प्रदाय किया जा सकता है।

प्रश्न 16. क्या अतिथि को शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन प्रदाय करना आवश्यक है?

उत्तर 16. नहीं। मैन्यु में भोजन के चयन की स्वतंत्रता गृहस्वामी की रहेगी। यदि गृहस्वामी शाकाहारी है, तो सिर्फ शाकाहारी भोजन प्रदाय कर सकता है। यह सुचना पर्यटक को आगमन के समय अथवा आरक्षण के समय अवगत करना बेहतर होगा।

प्रश्न 17. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड मेरी इकाई का नाम अपनी डायरेक्टरी से किन परिस्थिति में हटा सकता है ?

उत्तर 17. पंजीयन प्रमाण–पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात–

(क) यदि इकाई के स्वामी में परिवर्तन हो गया हो,

(ख) यदि सम्पत्तिधारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि सम्पत्तिधारक दिवालिया घोषित हो गया हो,

(घ) यदि सम्पत्तिधारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,

(च) यदि इकाई से पड़ोसी,मोहल्ले/कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो,

(ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण,

जिस इकाई का पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो, वह पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका–2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

प्रश्न 18. क्या गृहस्वामी का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है ?

उत्तर 18. हाँ। पंजीयन पश्चात गृहस्वामी का पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित समयावधि में आवश्यक है ।

प्रश्न 19. इकाई के विरुद्ध शिकायत का निराकरण कैसा होगा ?

उत्तर 19. जब कोई सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाएं जैसा कि वह वचन देता है उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि की लिखित शिकायत प्रबंध संचालक को प्रस्तुत कर सकेगा । प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा स्थापना का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्टरी से हटा देगी ।

होम स्टे संबधी योजनाओं का विवरण

क्रं.	विवरण	होमस्टे योजना	बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना	फार्मस्टे योजना	ग्राम स्टे योजना
1	**ईकाई का संचालन**	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं अथवा केयर टेकर द्वारा	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं अथवा केयर टेकर द्वारा	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं
2	**कक्षो की संख्या**	न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 06 (12 शैय्या)			
3	**पंजीयन शुल्क**	सिल्वर श्रेणी 1000+GST गोल्ड श्रेणी 2000+GST डायमंड श्रेणी 3000+GST	2000+GST	5000+GST	1000+GST
4	**पंजीयन अवधि**	03 वर्ष			
5	**पर्यटक सुविधाएं**	आवास, नाश्ता/भोजन		आवास, नाश्ता/भोजन मनौरंजन / ग्रामीण परिवेश से संबधी गतिविधियां	
6	**पंजीयन क्षेत्र**	शहरी/ग्रामीण		शहर के सीमा से बाहर	ग्राम पंचायत
7	**कक्षो का आकार (न्यूनतम)**	100 स्क्वे.फिट	120 स्क्वे.फिट	150 स्क्वे.फिट एकल शैय्या 200 स्क्वे.फिट दो शैय्या	100 स्क्वे.फिट
8	**स्नानागार का आकार (न्यूनतम)**	सिल्वर श्रेणी 30 वर्ग फिट गोल्ड श्रेणी 45 वर्ग फिट डायमंड श्रेणी 60 वर्ग फिट	30 वर्ग फिट	32 वर्ग फिट	-
9	**नवीनीकरण शुल्क**	1000+ GST	2000+ GST	5000+ GST	1000+ GST
10	**प्रोत्साहन राशि (एक बार)**	सिल्वर – निरंक गोल्ड - 25000/- डायमंड – 50000/-	प्रथम वर्ष पश्चात् 50 अतिथि आवास दिवस पूर्ण होने पर राशि रू. – 15,000/- द्वितीय वर्ष पश्चात् 75 अतिथि आवास दिवस पूर्ण होने पर राशि रू. – 20,000/- तृतीय वर्ष पश्चात् 100 अतिथि आवास दिवस पूर्ण होने पर राशि रू. – 25000/-		
11	**प्रचार-प्रसार प्रोत्साहन (एक बार)**	ब्रोशर / वेबसाइड तैयार करने हेतु 10,000/-	ब्रोशर तैयार करने हेतु राशि रू. – 10,000/- वेबसाईट तैयार करने हेतु राशि रू. – 10,000/-		
12	**अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता प्रोत्साहन**	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% अथवा अधिकतम राशि रूपये 50,000/- तक की प्रोत्साहन राशि देय होगी ।			
13	**कौशल विकास प्रशिक्षण में सहभागिता प्रोत्साहन**	कौशल विकास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अधिकतम रूपये 500/- का यात्रा भत्ता प्रति होम स्टे प्रति व्यक्ति देय होगा । यह भत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होम स्टे स्थल से भिन्न दूसरे शहर में होने पर ही देय होगा ।			

NOTES

THE REAL INDIA HOMESTAY
MADHYA PRADESH

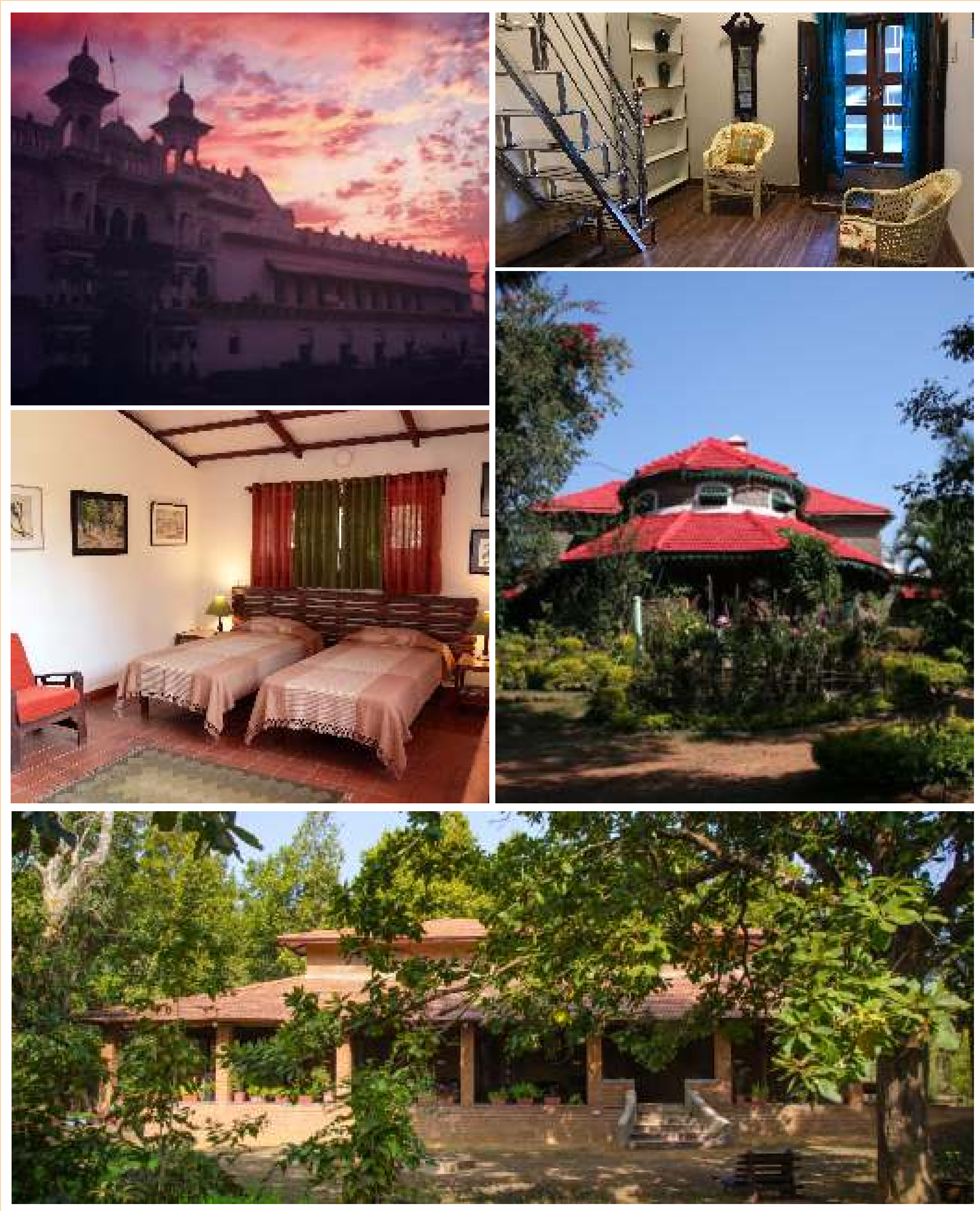

*फोटो पंजीकृत होमस्टे इकाईयों के सौजन्य से।

MADHYA PRADESH

The heart of Incredible !ndia

मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड

6वां तल, लिली ट्रेडविंग, जहांगीराबाद, भोपाल

0755-2780700, homestay.mptb@mp.gov.in

www.mphomestay.mponline.gov.in (For Registration)

www.tourism.mp.gov.in